The question was put and the motion adopted.

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAJI: RAO SHINDE; I introdlce the Bill.

THE SCHEDULED CASTES, SCHEDULED TRIBES AND BACKWARD CLASSES RESERVATION OF POSTS IN PRIVATE ENTERPRISES BILL, 1994

SUSHIL KUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE (Maharashtra): Madam, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for reservation of posts in private, cooperative and joint sector enterprises and organisation, in consonance with the spirit of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders and the Mandal Commission's recommendations and matters connected therewith.

The question was put and the motion was adopted,

SHRI SUSHIL KUMAR SAMBHAH-RAO SHINDE: Madam T introduce the Bill.

THE MARRIED WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS) BILL, 1994-Contd. THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Now, we would take up the further consideration of the motion in regard to the Married Women (Protection of Sights) Bill, 1994, moved on the 12th August, 1994 by Shrimati Veena Verma. Mr. Kataria was speaking on this Bill. His speech was incomplete. So; I would like (o requeest Mr. Kataria to speak on the Bill now. Mr. Kataria.

श्री वीरेन्द्र काटारिया (पंजाब) : मैडम वाईस-चेयरमैन मैं आपका शुक्रगुजार हू कि आपने इस बिलपर मुझे बोलने का मौका दिया है। पिछली दफा जब मैं बोल रहा था तो मैंने बात की थी कि जब तक महिलायें इकनामिक तौर पर डिपेंडेंट रहेंगी तो चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित हों उनके राईटस के प्रोटेक्शन की बात, जिसका तसब्बुर हम करते हैं, वह पूरी नहीं हो सकेगी। वीणा जी ने जो विवाहिता स्त्री (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक 1994 इस सदन में रखा है मैं उसकी हिमायत में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

महोदया विवाहित महिलाओं के अधिकारों के साथ-साथ एक और बुनियादी चीज जुड़ी हुई है और वह यह है कि हिन्दुस्तान में औरतों की हालत क्या है। उनके अधिकारों का सवाल तो बाद में पैदा होता है। मैं इस सदन में आज यह कहना चाहता हू कि हिन्दुस्तान में महिलाओं की हालत क्या है। हमारे देश में बहुत सुधारक हुये हैं जिन्होंने औरतों के हितों के लिये मूवमेंटस भी चलाई हैं और लड़ाइयां भी लड़ी हैं। राजा राममोहन राय, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, स्वामी दयानन्द, इन लोगों ने औरतों को मुनासिब जगह दिलाने के लिये आंदोलन किये हैं।

महोदया, हिन्दुस्तान को आजाद हुये 47 साल के ऊपर हो गये हैं और बेतहाशा लेजिस्लेशन कानून; रूल्स, स्कीमें हिन्दुस्तान में इट्रोडयूस की गई हैं औरतों की हालत को ऊचा उठाने के लिये लेकिन इन सब बातों के बावजूद आज मुझे यह बात कहने में कोई झिझक नहीं है कि आज भी हिन्दुस्तान में औरतों को जो दर्जा मिलना चाहिये वह उसेको नहीं मिला है। जो कानून हैं वह कागज के सीने पर लिखा हुआ जरूर है लेकिन अभी तक हिन्दुस्तान के लोगों के दिलों पर इस कानून का जितना असर होना चाहिये वह नहीं हुआ है। बहुत अवेयरनैस की जरूरत है। आज भी इन सब बातों के बावजूद हिन्दुस्तान में दहेज के लिये औरतों को जिंदा जला दिया जाता है। आज भी इस देश के बहुत बड़े हिस्से में जहां तालीम नाम की कोई चीज नहीं है औरतों को पैर की जूती के बराबर समझा जाता है। इस देश के बहुत बड़े हिस्से में आज भी औरतें तालीम से वंचित हैं। लोगों ने एजेंडा में कोई यह चीज नहीं है कि स्त्री शिक्षा की कितनी जरूरत है इस देश की तकदीर को बदलने में, हमारा सोशल निजाम

Tlie - question was pait and the motiooi was adopted

बदलने में और इस देश को ऊंचा ले जाने में । ऐसी कोई बात हमारे एजेंडा में नहीं है । इस बैकग्राउंड में जब हम मैरिड वूमेन के राईटस की बातें करते हैं तो हिन्दुस्तान में औरतों की ओवर ऑल जो सिचुएशन है उससे अलग रहकर अगर हम सिर्फ मैरिड वूमन के राईटस की बातें करें तो उससे यह मसला हल नहीं हो सकता ।

वीणा जी ने जो बिल रखा है, मैं उसकी तहेदिल से हिमायत करता हूं । उसके जो प्रोविजंश हैं, उसकी जो इकोनोमिक इम्पलीकेशंस हैं बिल्कुल काबिले सतायस हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा था कि जब तक इस मुल्क में वूमेन की इकोनोमिक इमेंसिपेशन नहीं होगी, इकोनोमिक राईट्स उनको नहीं मिलेंगे, जब तक उनकी इकोनोमिकली डिपेंडेंट रहेगी, तब तक राईटस की बात को हम पा नहीं सकेंगे । पिछले दिनों बात चली थी – एम्पॉवरमेंट आफ राईटस टू वूमेन की । लेकिन एम्पावरमेंट उतनी ही मिलेगी जितनी एम्पॉवरमेंट के लिये वूमेन जद्दो-जहद करेंगी और उसको पाने की कोशिश करेंगी । मेरे विचार में यह मूल-मंत्र है और इस मूल मंत्र का प्रयोग किये बगैर जो सिचुएशन हम क्रिएट करना चाहते हैं, जो सोशल रिवोल्यूशन या जो हमारा पिछड़ापन है या जिस देश की 50 फीसदी आबादी पैरों के नीचे दबी हो उसको ऊंचा उठाना चाहें तथा जब तक ऐसे रिवोल्यूशनरी इकदाम प्रैक्टिकल रूप में नहीं लाये जायेंगे, उस मकसद को पाया नहीं जा सकेगा ।

आज गांवों में चले जाइए । बेतहाशा गांव ऐसे हैं जिनमें औरतों को शिक्षा की कोई जरूरत नहीं समझी जाती । जब तक आप स्त्री शिक्षा के माध्यम से स्त्री जाति को उनके हकों से आगाह नहीं करेंगे, जब तक कि उनके अन्दर यह स्प्रिट पैदा नहीं करेंगे कि यह उनके राईटस हैं तथा वह भी समाज में बराबर की हिस्सेदार हैं, जब तक यह अवेयरनैस पैदा नहीं हो जाती, तो यह कानून आप बेशक पास कर दीजिये उसके नतीजे जिसके लिये यह कानून पास किया जायेगा, वह आप नहीं पा सकेंगे । आज जरूरत इस बात की है कि आज हिन्दुस्तान में औरतों की क्या हालत है । अगर आप मिनिस्ट्री आफ सोशल वैलफेयर के फीगर्स पढ़कर देखें तो हमारे देश से लगता जो मुल्क नेपाल हैं, वहां से कितनी औरतें यहां आती हैं, कितनी औरतों को बेचा जाता है । बंगाल से, उड़ीसा से कितनी औरतों को आज भी इस मुल्क में एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह बेचा जाता है । जैसे भेड़ बकरियां होती हैं वैसा उनका जीवन होता है तो वे आज भी पुकारती हैं । आज हिन्दुस्तान में नारी की जो हालत है,

मदद चाहती हैं ये हौवा की बेटी,
जुलेखा की हमजिंस, राधा की बेटी
बुलाओं खुदाया-ने दी को बुलाओ,
ये गलियां ये कूचे से मंजर दिखाओं
खुदाया-ने तकदीसे मशरिक को लाओ,
खुदाया-ने तकदीसे मशरिक कहां हैं?

आज हम हिन्दुस्तान में अपनी तहजीब की बात करते हैं, अपने कल्चर की बात करते हैं, ऋषि-मुनियों का देश है, उसकी बात करते हैं। यहां दूध और घी की नदियां बहा करती थीं, उसको बात करते हैं, पुरानी बातें करते हैं लेकिन जो आज का हिन्दुस्तान है और जिस औरत की तस्वीर मैंने आपके सामने खींची है, उसकी बात करें, पुरानी बातों को करने का कुछ फायदा नहीं है । हिन्दुस्तान बड़ा महान था लेकिन आज हिन्दुस्तान में औरत का जो अपमान होता है, औरत की जो जलालत होती है, उसकी तरफ निगाह दौड़ाने की जरूरत है और मैं ईमानदारी से इस बात को महसूस करता हू कि शायद ये बात कागजों पर तो है किन हमारे जो बिल का एजेंडा है, उसका यह हिस्सा नहीं है । वीणा जी ने जो तजर्बा की है, यह इतनी अजीब बात है कि एक लड़की जो अपने मां-बाप के घर में पैदा होती है, उसका उसकी जायदाद में कोई हक नहीं होता है । सक्सेशन ऐक्ट बनाया है जिसके जरिये हक दिया गया है । 1956 में यह एक्ट बनाया लेकिन इसका इंप्लिमेंटेशन अगर आप देखिये तो माइनस जीरो इम्प्लीमेंटेशन नजर आयेगा । क्या फायदा इस ऐक्ट को बनाने का जिसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ

है ? उसको न तो अपने मां-बापके घर में कोई हक था जायदाद का और जिस पर वो ब्याही जाती है, वहां पर भी कानून की नजरों में उनका अपने पति की जायदाद में, जब तक उसका पति जिंदा है, कोई हक नहीं है। इतनी अजीब बात है कि उसको अगर अपना हक देना है उस जायदाद में, चाहे वह मूवेबल हो या इम्मूवेबल हो, जब तक वह विधवा नहीं हो जाती, तब तक उसके सिर का सुहाग नहीं उजड़ जाता, वह उस जायदाद में पार्टनर नहीं बन सकती, हिस्सेदार नहीं बन सकती। यह कितने मजाक की बात है और कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक औरत अपने सुहाग की दुआ मांगती है अपने सुहाग के लिये सारी दुनिया से लड़ने के लिये चंडी का रूप भी धारण कर सकती है लेकिन उसी चंडी के रूप धारण करने वाली वीरांगना की बात की तवज्जह करें कि वह जायदाद में हिस्सा लेने के लिये, पार्टनर बनाने के लिये अपने सुहाग का सिंदूर अपने सिर से मिटा दें, यह कितनी अनर्थ सोच है, कितनी गलत बात है। मैं उनकी इस बात की ताईद करना चाहता हूं कि

when a woman gets married, sTie should be a co-partner in the property of her husband iiom the very first day of her marriage.

जब तक ये प्रावधान आप कानून में नहीं करते हैं, हिन्दुस्तान में औरतें जलती रहेंगी, बहुएं जलती रहेंगी। तो मैं एक सिंगल प्रोविजन जो है और जो इस बिल की जान है, उस पर जोर देना चाहता हूं कि चाहे इस बिल को सरकार स्वीकार कर या न करे, मैं सरकार से इस बात की अपील करता हूं कि इस प्रावधान को जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, इन वन फार्म और इन दि अदर फार्म, सरकार हिन्दुस्तान के कानून का हिस्सा बनाए। और मैरिड वूमैन को अपने पति की जायदाद में शादी के पहले दिन से ही फुल-फ्लैज को-पार्टनर के तौर पर हिस्सेदार कानून की नजर में मानना चाहिये। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के बाहर बहुत से लोग जाकर बसे हैं और वे बाहर के मुल्कों में रहते हैं। वहां से आकर वे हिन्दुस्तान में शादियां करते हैं, लड़कियों को वहां दूसरे मुल्कों में ले जाते हैं। मेरी नजर में एक नहीं सैकड़ों ऐसे केस आए हैं कि जो लड़कियां यहां से ब्याह कर ले जायी जाती हैं, उनकी जिन्दगी वहां जाकर एक हैल बन जाती है और वह केवल एक बीवी के तौर पर नहीं, एक दासी के तौर पर, एक मेड सरवेंट के तौर पर, एक घरेलू नौकर के तौर पर वहां अपने पतियों के घर में काम करती हैं। मैं इस बात के लिए भी वीणा जी से कहूंगा कि इसको अमेंडमेंट मानिए या इसको मेरा सुझाव मानिए, यह जो एक्ट आपने इंटरड्यूज किया है, जो बिल इन्टरड्यूज किया है, इसमें इस बात का भी प्रावधान होना चाहिये कि जो हिन्दुस्तानी बाहर के मुल्कों में जाकर बसते हैं और यहां से लड़कियों को ब्याह कर ले जाते हैं और वहां पर पहले से उनकी शादियां हुई होती हैं तथा लड़कियों का गुलामों की तरह इस्तमाल किया जाता है। इस बिल का इतलाक उन कपल्स पर भी, उन शादीशुदा जोड़ों पर भी होना चाहिए, इस बिल में इसका भी जिक्र आना चाहिए। आज एक और कान्सैप्ट हमारी है कि औरत जब अपने पति से सैपरेशन लती है, या डायवोर्स होता है तो एक लफ्ज है, जो लफ्ज बजात-ए-खुदबहूत वाहयात है, उसको कहते हैं—मेंटनेंस। मेंटेनेंस शब्द से ऐसा लगता है, जैसे किसी को खैरात दी जा रही है, किसी पर दया की जा रही है। इसलिये यह मेंटनेंस लफ्ज बिल्कुल बेमानी है और यह भी एक जलालत का और एक बदनामी का टीका है।

Why should a woman get maintenance* She should get her right as a **matt** *oi*** iight, as a matter of **law.**

मैं यह चाहता हूं कि जो मेंटनेंस सैपरेशन पर या डायवोर्स के मौके पर ग्रान्ट की जाती है, इसके बजाय कानून में इस बात का संशोधन किया जाये कि

As a matter of right she should get a right to her husband's properties.

आज मैंने जिस बात से शुरू किया था, उसी बात पर ही मैं फिर खत्म करना चाहूंगा कि इस बिल की पूरी हिमायत करते हुए कि आज जिस देश में औरतों को जला दिया जाता है, क्योंकि वह दहेज नहीं लायी है, आज इस देश में मैं अपने बाप की प्रापर्टी की हिस्सेदार होते हुए भी एक परसेंट क्षेत्रों में भी यह लॉ इम्पलीमेंट नहीं होता, आज इस देश में जहां अगर लड़कियां या औरतें वेद पढ़ती हैं, तो कहा जाता है कि उनको वेद पढ़ने का हक नहीं है, आज हजारों औरतें अपने घरों से अलग होकर बैठी हैं, क्योंकि उसके घर वाले, उनके हसबैंड उनको घर में बसाने के लिए तैयार नहीं है। सैपरेशन नहीं हुआ है, डायवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन इस देश में हजारों लाखों औरतें ऐसी हैं, जो इस तरह से अपने दिन पूरे कर रही है।

जब तक इकोनोमिक तौर पर वीमेन को मजबूत नहीं किया जाता, जब तक उनकी इकोनोमिक डिपेंडेंस खत्म नहीं की जाती, जब तक उनके अंदर खुद एतमादी पैदा नहीं की जाती जायदाद की हिस्सेदारी बनाकर तब तक वे हिन्दुस्तान में जलील होती रहेंगी। आप ऐसे हजारों कानून पास कीजिए वे कानून कागज की किताब पर लिखे रहेंगे और हम इस देश को हिन्दुस्तान महान कहते रहेंगे। और औरत यह कहती रहेगी हमने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उन्हें बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं हाउस से, वजीर साहब से पुरजोर अपील करना चाहूंगा कि इस बिल को आप मानिये या न मानिये लेकिन इसके पीछे जो स्प्रिट है देट शुड बिकम पार्ट आफ अवर लॉ।

شری ویریندر کٹاریہ (پنجاب): میڈم وائس چیئرمین - میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس بل پر مجھے بولنے کا موقع دیا ہے - پچھلی دفعہ جب میں بول رہا تھا تو میں نے بات کی تھی کہ جب تک مہلائیں اکونامک طور پر ڈیپینڈ رہیں گی تو چاہے وہ وواہت ہوں یا نہ ہوں، ان کے رائٹس کے پروٹیکشن کی بات جس کا تصور ہم کرتے ہیں۔ وہ پوری نہیں ہو سکے گی - وینا جی نے جو وواہتا استری ادھیکاروں کا سنرکشن ودھے یک 1994 اس سدن میں رکھا ہے میں اس کی حمایت میں بولنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں -

مہودیہ - وواہت مہلاؤں کے ادھیکاروں کے ساتھ ساتھ ایک اور بنیادی چیز جڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں عورتوں کی حالت کیا ہے۔ ان کے

ff] Trau? Iteration in Arabic Script.

ادھیکاروں کا سوال تو بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ میں اس سدن میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں مہلاؤں کی حالت کیا ہے۔ ہمارے دیش میں بہت سدھارک ہوئے ہیں جنہوں نے عورتوں کے ہتوں کے لئے موومنٹس بھی چلائی ہے اور لڑائیاں بھی لڑی ہیں۔ راجا رام موہن رائے، لالہ لاجپت رائے، مہاتما گاندھی، سوامی دیانند، ان لوگوں نے عورتوں کو مناسب جگہ دلانے کے لئے آندولن کئے ہیں۔

مہودیہ ہندوستان کو آزاد ہوئے آج ۴۷ سال سے اوپر ہو گئے ہیں اور بے تحاشہ لیجسلیشن۔ قانون۔ ۔ ودس، اسکیمیں ہندوستان میں انٹروڈیوس کی گئی ہیں عورتوں کی حالت کو اونچا اٹھانے کے لئے لیکن ان سب باتوں کے باوجود آج مجھے یہ بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ آج بھی ہندوستان میں عورتوں کو جو درجہ ملنا چاہیئے تھا وہ ان کو نہیں ملا ہے۔ جو قانون ہے وہ کاغذ کے سینے پر لکھا ہوا ضرور ہے لیکن ابھی تک ہندوستان کے لوگوں کے دلوں پر اس قانون کا جتنا اثر ہونا چاہیئے تھا۔ وہ نہیں ہوا ہے۔ بہت اویرنیس کی ضرورت ہے۔ آج بھی ان سب باتوں کے باوجود ہندوستان میں جہیز کے لئے عورتوں کو زندہ جلایا جاتا ہے۔ آج بھی اس دیش کے بہت بڑے حصے میں جہاں تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں ہے عورتوں کو پیر کی جوتی کے برابر سمجھا جاتا ہے۔

اس دیش کے بہت بڑے حصے میں آج بھی عورتیں تعلیم سے ونچت ہیں لوگوں کے ایجنڈا میں کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ استری شکشا کی کتنی ضرورت ہے اس دیش کی تقدیر بدلنے میں۔ ہمارا سوشل نظام بدلنے میں اور اس دیش کو اونچا لے جانے میں۔ ایسی کوئی بات ہمارے ایجنڈا میں نہیں ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں جب ہم میریڈ وومن کے رائٹس کی باتیں کرتے ہیں تو ہندوستان میں عورتوں کی اوورآل جو سچویشن ہے۔ اس سے الگ رہ کر اگر ہم صرف میریڈ وومن کے رائٹس کی باتیں کریں تو اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔

وینا جی نے جو بل رکھا ہے۔ میں اس کی تہہ دل سے حمایت کرتا ہوں۔ اس کے جو پروویژنس ہیں۔ اس کی جو اکونامک امپلیکیشن ہیں۔ بالکل قابل ستائش ہیں

کیوں کہ جیسا ممبر نے کہا تھا کہ جب تک اس ملک میں ووٗمن کی اکونامک انڈیپنڈنس نہیں ہو گی۔ اکونامک رائٹس انکو نہیں ملیں گے۔ یہ جب تک ان کی اکونومکلی ڈیپینڈنٹ رہے گی۔ تب تک رائٹس کی بات کو ہم پا نہیں سکیں گے۔ پچھلے دنوں بات چلی تھی۔ ایمپاورمنٹ آف رائٹس ٹو ووٗمن کی۔ لیکن ایمپاورمنٹ اتنی ہی ملے گی جتنی ایمپاورمنٹ کے لئے ووٗمن جدوجہد کریں گی اور اس کو پانے کی کوشش کریں گی۔ میرے خیال میں یہ مول منتر ہے اور اس مول منتر کا پریوگ کئے بغیر جو سچوایشن ہم کری ایٹ کرنا چاہتے ہیں۔ جو سوشل ریوولوشن یا جو ہمارا اپیکشت ہے یا جس دیش کی ۵۰ فیصدی آبادی پیروں کے نیچے دبی ہو اس کو اونچا اٹھانا چاہتے تھا جب تک ایسے ریوولیوشنری اقدام پریکٹیکل روپ میں نہیں لائے جائیں گے اس مقصد کو پایا نہیں جا سکے گا۔

آج گاؤں میں چلے جائیے بے تحاشا گاؤں ایسے ہیں جن میں عورتوں کی شکشا کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی جاتی جب تک آپ استری شکشا کے ماذیم سے استری جاتی کو ان کے حقوق سے آگاہ نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے اندر یہ اسپرٹ پیدا نہیں کریں گے کہ یہ ان کے حقوق تھا وہ بھی محتاج ہیں برابر کے حقدار ہیں۔ جب تک یہ اویرنیس پیدا نہیں ہو جاتی تو یہ قانون آپ بے شک پاس کر دیکھئے اس کے نتیجے جس کے لئے یہ قانون پاس کیا جائے گا وہ آپ نہیں پا سکیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہندوستان میں عورتوں کی کیا حالت ہے اگر آپ "منسٹری آف سوشل ویلفیئر" کے فیگرز پڑھ کر دیکھیں تو ہمارے دیش میں کتنا بڑا مارکیٹ نیپال سے ہے وہاں سے کتنی عورتیں یہاں آتی ہیں۔ کتنی عورتوں کو بیچا جاتا ہے۔ بنگال سے اڑیسہ سے کتنی عورتوں کو آج بھی اس ملک میں ایک جگہ سے جا کر دوسری جگہ بیچا جاتا ہے۔ جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں۔ ویسا ان کا جیون ہوتا ہے تو وہ آج بھی پکارتی ہے۔ آج ہندوستان میں ناری کی جو حالت ہے۔

مدد چاہتی ہے یہ حوا کی بیٹی
زلیخا کی ہم جنس رادھا کی بیٹی
بلاؤ خدایان دین کو بلاؤ
یہ گلیاں یہ کوچے یہ منظر دکھاؤ
خدایان تقدیس مشرق کو لاؤ
خدایان تقدیس مشرق کہاں ہے

آج ہم ہندوستان میں اپنی تہذیب
کی بات کرتے ہیں۔ اپنے کلچر کی بات
کرتے ہیں رشی منیوں کا دیش ہے اس
کی بات کرتے ہیں۔ یہاں دودھ اور دہی
کی ندیاں بہا کرتی تھیں۔ اس کی بات
کرتے ہیں۔ پرانی باتیں کرتے ہیں لیکن
جو آج کا ہندوستان ہے اور جس عورت
کی تصویر میں نے آپکے سامنے کھینچی ہے
اس کی بات کریں۔ پرانی باتوں کو کرنے کا
کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہندوستان بڑا مہان
تھا لیکن آج ہندوستان میں جو عورت
کا اپمان ہوتا ہے عورت کی جو ذلالت
ہوتی ہے اس کی طرف نگاہ دوڑانے کی
ضرورت ہے اور میں ایمانداری سے اس
بات کو محسوس کرتا ہوں کہ شاید یہ بات
کاغذوں پر تو ہے لیکن ہمارے جو بل
کا ایجنڈا ہے اس کا یہ حصہ نہیں رہا ہے
وینا جی نے جو تجویز کی ہے۔ یہ اتنی عجیب
بات ہے کہ ایک لڑکی جو اپنے ماں باپ
کے گھر میں پیدا ہوتی ہے اس کا اس کی
جائداد میں کوئی حق نہیں ہوتا ہے سیکشن
ایکٹ بنایا ہے جس کے ذریعہ حق دیا گیا
ہے۔ ۱۹۵۶ میں یہ ایکٹ بنایا لیکن
امپلیمنٹیشن اگر آپ دیکھئے تو مائنس زیرو
امپلیمنٹ نظر آئے گا۔ کیا فائدہ اس ایکٹ
کو بنانے کا جس کا امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے
اس کو نہ تو اپنے ماں باپ کے گھر میں کوئی
حق تھا جائداد کا اور جس گھر وہ بیاہی جاتی
ہے وہاں پر بھی قانون کی نظروں میں اس کا
اپنے پتی کی جائداد میں جب تک اس کا
پتی زندہ ہے۔ کوئی حق نہیں رہے۔ اتنی
عجیب بات ہے کہ اس کو اگر اپنا حق دینا
ہے اس جائداد میں چاہے وہ موو ایبل
ہو یا ان موو ایبل ہو جب تک وہ ودوا
نہیں ہو جاتی جب تک اس کے سر کا
سہاگ نہیں اٹھ جاتا وہ اس جائداد میں پارٹنر
نہیں بن سکتی حصہ دار نہیں بن سکتی یہ
کتنے مذاق کی بات ہے اور کتنے دکھ کی
کی بات ہے کہ ایک عورت اپنے سہاگ کی
دعا مانگتی ہے۔ اپنے سہاگ کے لئے ساری
دنیا سے لڑنے کے لئے چنڈی کا روپ بھی
دھارن کر سکتی ہے لیکن اس چنڈی کا
روپ دھارن کرنے والی ویرانگنا کی بات
کی توقع کریں کہ وہ جائداد میں حصہ لینے
کے لئے پارٹنر بننے کے لئے اپنے سہاگ کا
سندور اپنے سر سے مٹا دے یہ کتنی انارتھ
سوچ ہے۔ کتنی غلط بات ہے میں ان کی
اس بات کی تائید کرنا چاہتا ہوں کہ

جب تک یہ پراودھان آپ قانون میں نہیں کرتے ہیں۔ ہندوستان میں عورتیں جلتی رہیں گی۔ بہوئیں جلتی رہیں گی۔ تو میں ایک سنگل پروویزن جو ہے اور جو اس بل کی جان ہے اس پر زور دینا چاہتا ہوں۔ چاہے اس بل کو سرکار سویکار کرے یا نہ کرے۔ میں سرکار سے اس بات کی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس پراودھان کو جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے "ان ون فارم آر ان ادر فارم" سرکار ہندوستان کے قانون کو حصہ بنائیے اور میریڈ وومن کو اپنے پتی کی جائداد میں شادی کے پہلے دن سے ہی "فل فلیجڈ" کو۔ پارٹنر کے طور پر حصہ دار قانون کی نظر میں ماننا چاہیئے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے باہر بہت سے لوگ جا کر بسے ہیں اور وہ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں وہاں سے آکر وہ ہندوستان میں شادیاں کرتے ہیں۔ لڑکیوں کو وہاں دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں۔ میری نظر میں ایک نہیں سینکڑوں ایسے کیس آتے ہیں کہ جو لڑکیاں یہاں سے بیاہ کر لے جائی جاتی ہیں۔ ان کی زندگی وہاں جا کر ایک جھیل بن جاتی ہے اور وہ کیول ایک بیوی کے طور پر نہیں ایک داسی کے طور پر۔ ایک میڈ سرونٹ کے طور پر۔ ایک گھریلو نوکر کے طور پر وہاں اپنے پتیوں کے گھر میں کام کرتی ہیں۔ میں اس بات کیلئے بھی ودیا جی سے کہوں گا کہ اس کو امنڈمنٹ مانئیے یا اس کو میرا سجھاؤ مانئیے یہ جو ایکٹ آپنے انٹروڈیوس کیا ہے۔ جو بل انٹروڈیوس کیا ہے اس میں اس بات کا بھی پراودھان ہونا چاہیئے کہ جو ہندوستانی باہر کے ملکوں میں جا کر بستے ہیں اور یہاں سے لڑکیوں کو بیاہ کر لے جاتے ہیں اور وہاں پر پہلے سے ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں تھا لڑکیوں کو بیاہ کر لے جاتے ہیں اور وہاں پہ پہلے سے ان کی شادیاں ہوئی ہوتی ہیں تھا لڑکیوں کا غلاموں کی طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ اس بل کا اطلاق ان کپلس پر بھی۔ ان شادی شدہ جوڑوں پر بھی ہونا چاہیئے۔ اس بل میں اس کا بھی ذکر آنا چاہیئے۔ آج ایک اور کانسیپٹ ہماری ہے کہ عورت جب اپنے پتی سے سیپریشن لیتی ہے یا ڈائیوورس ہوتا ہے تو ایک لفظ ہے جو لفظ بذات خود بہت واہیات ہے اس کو کہتے ہیں مینٹی نینس۔ مینٹی نینس شبد سے ایسا لگتا ہے جیسے کسی کو خیرات دی جا رہی ہے کسی پہ دیا کی جا رہی ہے اس لئے یہ مینٹی نینس لفظ بالکل بے معنی ہے

اور یہ بھی ایک ذلالت کا اور بدنامی کا ٹیکا ہے۔

Why should a woman get maintenance? She should get her right as a matter ot right, as matter of law.

میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو مینٹی ننس سیپریشن پر یا ڈائیوورس کے موقع پر گرانٹ کی جاتی ہے۔

As a matter of right she should get a right to her husband's properties.

اس کے بجائے قانون میں اس بات کا سنشودھن کیا جائے کہ ...

آج میں نے جس بات سے شروع کیا تھا اس بات پر ہی میں پھر ختم کرنا چاہوں گا کہ اس بل کی پوری حمایت کرتے ہوئے کہ آج جس دیش میں عورتوں کو جلا دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جہیز نہیں لائی ہے آج اس دیش میں اپنے باپ کی پراپرٹی کی حصہ دار ہوتے ہوئے بھی ایک پرسنٹ اکشیتروں میں بھی یہ الاٹمنٹ نہیں ہوتا۔ آج اس دیش میں جہاں اگر لڑکیاں یا عورتیں وید پڑھتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ان کو وید پڑھنے کا حق نہیں ہے۔ آج ہزاروں عورتیں اپنے گھروں سے الگ ہو کر بیٹھی ہیں کیوں کہ ان کو گھر والے ان کے ہسبینڈ انکو گھر میں بسانے کے لئے تیار نہیں ہیں۔ سیپریشن نہیں ہوا ہے ڈائیوورس نہیں ہوا ہے لیکن اس دیش میں ہزاروں لاکھوں عورتیں ایسی ہیں جو اس طرح سے اپنے دن پورے کر رہی ہیں۔

جب تک اکنامک طور پر وومینس کو مضبوط نہیں کیا جاتا جب تک ان کی اکنامک ڈیپینڈنس ختم نہیں کی جاتی۔ جب تک ان کے اندر خود اعتمادی پیدا نہیں کی جاتی جائداد کی حصہ داری بنا کر۔ تب تک وہ ہندوستان میں ذلیل ہوتی رہیں گی۔ آپ ایسے ہزاروں قانون پاس کیجئے وہ قانون کاغذ کی کتاب پر لکھے رہیں گے اور ہم اس دیش کو ہندوستان مہان کہتے رہیں گے۔ اور عورت یہ کہتی رہے گی کہ ہم نے جنم دیا مردوں کو اور مردوں نے انہیں بازار میں لا کر کھڑا کر دیا۔ کہانی ایسے ہی چلتی رہے گی۔

ان شبدوں کے ساتھ میں ہاؤس سے وزیر صاحب سے پرزور اپیل کرنا چاہونگا کہ اس بل کو آپ مانئے یا نہ مانئے لیکن اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے "دیٹ شوڈ بی پارٹ آف آور لا"۔

"ختم شد"

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय वीणा जी के विधेयक का समर्थन करूंगा । लेकिन जैसा उद्देश्य उन्होंने दर्शाया है कि आज भी आजादी के इतने वर्षों के बाद महिलाओं को सम्मान और समाज में उचित स्थान नहीं मिल पाया, मैं क्षमा चाहूंगा अपने सम्मानित सदस्यों से, एक उदाहरण देता हूं । मेरे एक मित्र ने मुझ से कहा मुझे रक्तचाप हो गया । मैंने कहा क्यों ? तो बोले चिकनाई ज्यादा खा लेता हूं । और कहा मैं दवा ले रहा हूं । मैंने उनसे कहा तुम दवा लेने के बजाय चिकनाई खाना छोड़ दो तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी । लेकिन वह चिकनाई खाना नहीं छोड़ते । ठीक उसी तरह से हमारे देश में कानून तो बनते हैं तमाम लेकिन उन कानूनों से कोई समाधान नहीं होता । जो समस्या के कारण रहे उन कारणों को हम दूर नहीं करते । उनको सहलाते चले जा रहे हैं । महिलाओं को उचित स्थान समाज में क्यों नहीं मिल पाता, सम्मान क्यों नहीं मिल पाता पहले इसकी बुनियाद में जाइये । सबसे बड़ी बुनियाद देश के तथाकथित धर्म और धर्म ग्रन्थ हैं । मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहता हूं चाहे हिन्दू हों, मुसलमान हों या कोई धर्म भी हो । आप जानते हैं हमारे यहां हिन्दुओं के दो ग्रंथ रामायण और गीता हैं और मुसलमानों में कुरान । सब जानते हैं कि हमारी रामायण में जो लिखा हुआ है उसमें आज तक किसी ने संशोधन नहीं किया । उसमें लिखा है :

ढोल गवार शूद्र पशु नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी ।

संशोधन किसी ने नहीं कराया । हम रोज रामायण का पाठ करते हैं । जो हमारे मान्य ग्रंथ हैं और जिसमें नारी प्रताड़ना की अधिकारिणी है तो नारी को उचित स्थान कैसे मिल सकता है समाज में । यह एक प्रश्न है । ठीक इसी तरह से गीता में 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में कृष्ण ने कहा है । हे अर्जुन, स्त्री, शूद्र, वेश्या, पापयोनि आदि जो कोई भी हो वह भी मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त हो जाता है । इसका मतलब यह है कि उपरोक्त लोग हेय हैं । आप कुरान की बात करते हैं । कुरान की दूसरी सूरा अलबकरा की 228 वीं आयत है उसमें उसका जितना हिस्सा है उतना ही कहता हूं ।" जैसे मर्दों का हक औरतों के ऊपर है वैसे ही अदस्तूर औरतों का हक भी मर्दों पर है । लेकिन मर्दों को औरतों पर प्रधानता प्राप्त है । यानी मैन आर सुपिरियर टू वीमेन । इस तरह से सब जगह स्त्रियां प्रताड़ित हैं । सबसे पहले इन धर्म ग्रंथों में संशोधन होना चाहिए । यह हाइएस्ट बाडी आफ द लैंड है । हम यहां घड़ियाली आंसू बहाते हैं । (व्यवधान) राम गोपाल यादव जी मैं गुलाम नहीं हूं आपकी तरह से, जैसे आप अपने नेता के गुलाम हैं । मैं देश का भक्त पहले हूं, बाद में व्यक्ति का, पार्टी का भक्त हूं । पहले मेरा देश है और उससे बड़ी मानवता । आप पूछिये अपने नेता से । मैं जो बता रहा हूं वह सच है । सबसे पहले धर्म ग्रंथों में संशोधन होना चाहिए । स्त्रियों की प्रताड़ना होती है दहेज के कारण, इसलिए दहेज प्रथा समाप्त होनी चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : गौतम जी, एक मिनट मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : मैडम, हमारे काबिल दोस्त ने कहा और रामायण की उन्होंने अभी एक पंक्ति पढ़ी कि "ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी ।" रामायण के आदर्श राम हैं, रावण नहीं । यह पंक्ति रावण के मुंह से निकली है, जब मंदोदरी को उसने डांटा था । यह रामायण की फिलासफी . . . (व्यवधान) . . . रामायण के आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं । यह उनके मुंह से नहीं निकला है । तो हमारे धर्म ग्रंथ में कोई त्रुटि नहीं है ।

SHRI SANGH PRIYA GAUT, You ire a lowycrs and I too am lawyer, lawyers do not agree ever agree. It is your personal jnterp

पर्सनल इंटरप्रटेशन है । दोनों फरीकों का मुद्दा एक ही है । अदालत में अपनी अपनी तरह से इंटरप्रटेशन करते हैं । इसी के ऊपर आप सुन लीजिये । एक साधु, एक पनवाड़ी, एक परचूनी और एक पहलवान मार्निंग वाक पर जा रहे थे, सैर के लिए । तीतर बोला । चारों बोले तीतर ने क्या कहा । साधु बोला शुभान तेरी कुदरत, परचूनी बोला गलत, तीतर ने बोला नमक मिर्च अदरक । पनवाड़ी बोला तुम दोनों गलत । तीतर बोला पान, बीड़ी, सिगरेट । पहलवान बोला तुम तीनों बिल्कुल गलत । तीतर बोला । दंड, बैठक, कसरत । जिसका जैसा माइंड होता है, जिसका जैसा फन होता है, जैसी जिसकी मानसिकता होती है, वह वैसे ही अनुवाद करता है लेकिन असल इंटरप्रटेशन अपनी जगह पर है ।

दूसरा कारण है दहेज । उन लड़कियों का वैवाहिक जीवन ज्यादातर परेशान है जो गरीब घरों की हैं, जिनको दहेज कम मिला है । दहेज की शादियां बड़े बड़े लोग करते हैं । हमारे जो कांग्रेस भाई हैं उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी से सबक नहीं लिया । उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की । 7-7 आदमी बारात में गए और एक पैसा उन्होंने दहेज नहीं लिया । लेकिन इन्हीं के एक मुख्य मंत्री 60 हजार आदमियों को बारात में ले गए और ये सब गए ।.... (**व्यवधान**)... मैं तो अपनी बात कहा करता हूं । मैं कबीर की तरह हूं कि "तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी ।" ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : गौतम जी आप विषय पर बोलें ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैं विषय पर ही [illegible] रहा हूं ।

[illegible]पसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : [illegible]ब इधर उधर ध्यान मत दीजिये, [illegible] बात कहिए ।

[illegible] संघ प्रिय गौतम : स्त्रियों का [illegible] होता है दहेज के कारण । इसलिए [illegible]था समाप्त होनी चाहिए । लेकिन कैसे समाप्त हो ? यह प्रथा समाप्त नहीं होगी । आप जिम्मेदार लोग हैं, अगुआ लोग हैं आपको पहले स्वयं अपने बेट बेटियों की शादी में दहेज खत्म करना चाहिए । जो दहेज की शादी करे समाज से उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनका किसी भी तरह से साथ नहीं दिया जाना चाहिए ।

वीणा जी, मैं बड़ी व्यावहारिक बात बता रहा हूं । इसके लिए महिलायें स्वयं जिम्मेदार हैं । जब वे बहू बनकर आती हैं तब उनकी दहेज न लाने के कारण प्रताड़ना होती है लेकिन जब वही बेटे-बेटियों वाली बनती हैं तो उनकी निगाह भी दहेज की तरफ जाती है । लड़का जिसकी शादी होती है वह कभी दहेज नहीं मांगता । उसको पत्नी चाहिए । दहेज माता-पिता मांगते हैं वे उसके लिए जिम्मेदार होते हैं । (Interrlptions) This is one of the reasons. I did not say that this is the only reason.

हम रोज व्यावहारिक जीवन में देखते हैं कि यह भी इसका एक कारण है ।

चौथा कारण है ज्यादा बच्चे होना । ज्यादा बच्चे हो जाने से इस महंगाई में उनकी परवरिश कैसे होगी । (**व्यवधान**) आप तो कम्युनिस्ट हैं । आप धर्म से हटिए । मैं तो कम्युनिस्ट नहीं हूं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैंने कहा था कि टोका-टाकी पर ध्यान मत दीजिए ताकि स्पीच का लिंक बना रहे ।

श्री संघ प्रिय गौतम : उपसभाध्यक्ष महोदया, ज्यादा बच्चे होने से परिवार की परवरिश हो नहीं पाती और उचित आमदनी से जब उनकी गुजर बसर नहीं होती तो आदमी अनुचित काम करता है और गलत रास्ते पर जाता है और गुस्सा अपनी पत्नी पर उतारता है । अगर परिवार छोटा होगा तो सुखी होगा, पति-पत्नियों में झगड़े नहीं होंगे । परिवार सुखी रहने के लिए परिवार छोटा होना चाहिये ।

उपसभाध्यक्ष महोदया मैं अपने सुझाव दे रहा हूं कि महिलाओं पर अत्याचार कैसे कम हो। जहां तक अधिकारों का प्रश्न है उनको शिक्षा का अधिकार है। बहुत से राज्यों में उनको इंटरमीडियेट तक फ्री एजुकेशन की सुविधा है। मेरा यह सुझाव है कि फ्री शिक्षा के साथ-साथ आखिर तक लड़कियों के लिए शिक्षा कम्पलसरी कर देनी चाहिये। अब आप कहेंगे कि पैसा कहां से आएगा? पैसा हमारे देश में इतना ज्यादा है कि कोई आदमी अपनी साख बना ले तो उसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। यदि कोई धार्मिक निर्माण के काम पर पैसा खर्च करना चाहता है। लोग अन्धाधुंध पैसा दे देंगे। लेकिन लोग बेईमान हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं और खुद खा जाते हैं। इसलिए लोगों की साख नहीं है। मेरा यह सुझाव है i hat free, compulsory and uniform education should be provided in the entire country.

पैसा कहां से आएगा। मैंने जैसे बताया है पैसा अन्धाधुंध पब्लिक देगी।

You establish your credibility.

यह हमने अपने जीवन में देखा है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। 1971 की लड़ाई में हमारी बहनों ने अपने कानों के बाले और अंगूठियां ऐसे फेंक दी थी। हमारे देश में कोई कमी नहीं है। दूसरे देशों में सोना एक जगह इकट्ठा है लेकिन हमारे देश में सोना हर घर में बंटा हुआ है। लोग सोना भी दे देंगे। फ्री एजुकेशन फार ऑल लेकिन एजुकेशन केवल बुकिश नहीं होनी चाहिये। गांधी जी और मरहूम डा० जाकिर हुसैन जी ने वर्धा में एक योजना वर्धा शिक्षा योजना बनाई थी। वर्धा शिक्षा योजना where it was a basic training and it was a job-oriented education.

अप्राविधि शिक्षा। इसमें क्या था। इसका उद्देश्य यह था कि औरतें घर में काम करती रहेंगी, कॉटेज इंडस्ट्रीज में काम करती रहेंगी और कभी झगडा भी नहीं होगा। खाली आदमी का दिमाग शैतान का घर होता है। चार औरतें जब खाली बैठी होंगी तो कोई अच्छी बात नहीं करती, झगड़े की बात करेंगी। चार अफसर, चार वकील, चार डाक्टर, और चार एम०पी० जब चाहे देख लीजिये या तो ताश खेलेंग या इधर-उधर की बात करेंगे, देश निर्माण की या चरित्र निर्माण की बात करते नहीं पाएंगे। **(व्यवधान)** यह आज का माहौल है। मैं तो जनरल बात कह रहा हूं। हम यही तो कर रहे हैं। क्या यह गलत है? बाहर जा कर देखिये। एक तरफ मद्य निषेध कानून है और दूसरी तरफ शराब का प्रचार और प्रसार और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते चले जाओ क्योंकि सरकार को पैसा ही पैसा चाहिये। अल्लाह मियां ने दो चीजें भेजी थी नमक और मिठाई। जितने पैसे वाले लोग है यह दोनों चीजें नहीं खा सकते क्योंकि या तो वह ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे या गठिये के मरीज होंगे। जितने पैसे वाले लोग हैं वे सांसारिक सुखों की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखना चाहिये तभी परिवार सुखी रहेगा। परिवार बिगड़ता तब है जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है। यदि नैतिक तरीके से नहीं हो पाती तो अनैतिक तरीकों से आदमी पूर्ति करने का प्रयास करता है। अंत में मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में पहले पांद सिस्टम था। मैं आपको अकबर बीरबल का एक किस्सा सुनाता हूं। बीरबल खूबसूरत थे, उनकी मां काली तवा दांत निकले हुए थे। **(व्यवधान)** मैं वेल फाऊंडेड बात कहता हूं, ऐसे बात नहीं करता। अकबर ने यह जानना चाहा कि बीरबल की मां बहुत सुन्दर होगी, मैं उसका चेहरा देखूं। बीरबल समझ गये कि अकबर मां को देखने आ रहे हैं। वह काली थी और दांत निकले हुए थे उन्होंने कमीज दस्ताने पहन कर घूंघट म दिया, नीचे मौजे पहन लिये। अकबर कहा कि मैं आपकी मां का चेहरा देखूंग बीरबल की मां ने कहा कि आप मेरी को को देखो जिसने बीरबल जैसा लायक ल पैदा किया है। चेहरे को क्या देखो आज ये आधे बदन, ये नंगे बदन अश्लील हरकतें और ये जो छूट दे टी०वी० पर—यानी कौन-कौन रे

हैं, अब तो कई टी॰वी॰ ऐसे भी अखबार में पढ़े, जाने सही हैं या गलत कि वे सेक्स भी दिखाएंगे रात को। कोई भी हों। मर्द हों या कोई भी हों इसका क्या असर पड़ेगा। मैं तो जानता हूं, आप भी जानते हैं कि कौन-से हैं। लेकिन मैं तो विरोध करूंगा। आज टी॰वी॰ को देखकर सब बिगड़ रहे हैं तो घर में महिला भी बिगड़ रही हैं, आदमी बिगड़ रहे हैं, दोनों के संबंध खराब हो रहे हैं, मेन एण्ड वीमेन के बीच परेशानियां बढ़ रही हैं।

सम्पत्ति का जहां तक प्रश्न है, दहेज के पीछे एक कारण था, और उसकी सीमा थी कि अगर पति मर गया, घर में गरीबी आ गयी तो कुछ सामान लड़की को इसलिए दो कि वह मारी-मारी न फिरे। अपनी गुजर-बसर कर सके। लेकिन अब यह एक डिमांड बन गयी है। पनिशमेंट कीजिए ऐसे लोगों का? पनिश आप किसी को करते नहीं।

ज्यादा समय न लेकर, यह कहूंगा कि कुछ बातें जो वीणा जी ने इसमें कहीं मैं उनसे इत्तिफाक नहीं करता हूं जैसे यह कि पति की सम्पत्ति में तो अधिकार शादी के दिन से ही होना चाहिए—यह सही है कि होना चाहिए लेकिन बेचने का अधिकार नहीं होना चाहिए। माफ करेंगे बहुत से आदमी बहुत ज्यादा बदचलन हैं। लेकिन यदि औरत बदचलन हो गयी और सम्पत्ति को बेच दिया तो बच्चे क्या करेंगे, क्या होगा उनका। आई डोंट एग्री विद दिस। इसलिए मैं इससे सहमत नहीं हूं।

दूसरा यह है कि औरत यदि बेवा हो गयी और बेवा होने के बाद जैसा आम तौर से और अब तो रिवाज हो गया है, अगर बच्चे हैं और उसने दूसरी शादी कर ली तो उन बच्चों का क्या होगा। इसलिए इसमें कोई प्राविजन होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए, पर यह नहीं होना चाहिए।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। भाई सलीम साहब आपका ध्यान चाहूंगा। यू आर वेरी इंटेलीजैंट मैन आफकोर्स, लेकिन मेरी बात सुन लें कि लोग कहते दुनियां बनायी... (व्यवधान) हां सुन लीजिए। कहते हैं यह दुनियां ब्रहमा ने बनायी। सुन ले। दुनियां कहती है कि दुनियां बनाई ब्रहमा ने। मैं कहता हूं कि औरत अपनी यूनियन बनाकर—जो महिलाएं तंग होती हैं उनकी एक फैसला ले लें। पूरी दुनियां की महिलाएं एक यूनियन बनायें और एक फैसला ले ल और यह कह दें कि कोई भी मर्द महिला पर जुल्म नहीं करेगा। नहीं मानता है तो समय निर्धारित कर दें—एक साल, डेढ़ साल, दो साल और फिर भी मर्द न मानें तो महिलाएं यह फैसला ले लें कि हम मर्द पैदा नहीं करेंगी और जैसे आज लड़कियों की आप गर्दन घोंट देते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, मर्द होगा तो वे भ्रूण हत्या कर द उसकी। 70 साल तक इस प्रक्रिया को अपनाय। ब्रहमा आकर देख लें कि सृष्टि रहेगी कि नहीं रहेगी... (व्यवधान) तो स्थिति यह है। मैं इसका भाव समझाता हूं.... (व्यवधान) इसका अर्थ यह है कि महिलाएं जुल्म को बर्दाश्त करती हैं। इसका भाव यह है।

They should units against oppression.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): एक मिनट सुनिए। आपने जो सुझाव दिया कि इसका मतलब यह है कि आपके जुल्मों के बाद भी महिलाएं अगर मान लीजिए संतान, औलाद या बच्चा हो तो उसका गला घोंट दें या उसको मार दे। इतनी क्रूर, हत्या करने वाली महिलाएं कभी नहीं होती हैं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): ये सोच सकते हैं लेकिन हमारी माताएं ऐसी नहीं हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) हमारे देश में ऐसी संस्कृति नहीं है महिलाओं को। हमारे देश में यह भी संस्कृति नहीं है कि महिलाओं की यूनियन इस चीज के लिए बनायी जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने देश की महिलाओं का अपमान इस तरीके से नहीं करना चाहिए।

श्री संघ प्रिया गौतम : पहले तो मेरे शब्द जो इसमें लिखे हुए हैं देख । मैंने कहा कि "अगर" । कोई जरुरी नहीं है कि आनरेबुल मेम्बर मेरी बात से इत्तिफाक करें और कोई यह भी जरुरी नहीं है कि मैं किसी से राय लूं । मैं अपनी बात, व्हाट आई थिंक प्रापर, आई विल से दैट । मैंने यह कहा कि अल्टीमेटम दीजिए । आखिर किसी चीज के निवारण का कोई उपाय, उपचार तो होगा । कानून तो उपचार नहीं कर रहा है । आज हम देख रहे हैं चोरी की सजा का कानून है, डकैती की सजा का कानून है, कत्ल की सजा का कानून है, सब है किन हर चीज बढ़ रही है । तीन-तीन, चार-चार साल की बच्चियों के साथ बलात्कार और उनकी हत्याएं बढ़ रही हैं । महिलाओं के संग बलात्कार और उनकी हत्याएं बढ़ रही हैं । मास रेप अभी अलीगढ़ में हुआ, परसों पालियामेंट में उठा था । रोज रेप बढ़ रहे है, मास रेप हो रहे हैं । आज कानून मदद नहीं करता । मेरी भावना को समझिए । *I* am one of you. I am Indian. मेरा भी कल्चर ही है और मेरा कल्चर तो और भी ज्यादा कल्चर्ड लोगों से आगे है । हम राष्ट्रीय संस्कृति को मानते भी हैं और व्यवहार में भी लाते हैं । हम राष्ट्रीय संस्कृति का ढिंढोरा नहीं पीटते हैं । हमारा उद्देश्य यह है । हमारा फ्रीडम फाइटर में नाम इसलिए नहीं आया कि हम जेल में नहीं जा सके । हमने तो तिरंगा झंडा उठाया है आजादी के लिए, हम तो उन लोगों में थे । मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि कुछ हमको महिलाओं के प्रति, बच्चे और बुजुर्ग हमारी संस्कृति है बच्चा, महिला और बुजुर्ग गांव में हमारी भाषा में कहते हैं, अरे, क्या बच्चे के मुंह लग रहे हो, क्या महिला के मुंह लग रहे हो, क्या बुजुर्ग के मुंह लग रहे हो । इन तीनों के लिए प्यार और सम्मान हमारी भारत की संस्कृति में है, लेकिन आज तीनों ही अपमानित हो रहे हैं । बच्चों का अपहरण, महिलाओं का शीलभंग और हत्या और बुजुर्गों का अपमान, उनको दूर किया जा रहा है । यह चिंतनीय विषय है संस्कृति हमारी अलग होती जा रही है और इसलिए इस संस्कृति में जो हमला हो रहा है वह पाश्चात्य सभ्यता से हो रहा है और टी0वी0 वगैरह से । सरकार के लोग बैठे हुए हैं आप इसे बंद करा दीजिए । कोई अच्छी चीज नहीं है इससे कोई अच्छा सबक नहीं ले रहा है । अच्छा सबक हमारे जमाने में जब हम छोटे-छोटे बच्चे थे तो हम लेते थे । उस समय स्कूल में पढ़ाया जाता था कि मां-बाप की सेवा करो । अब तो कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, सिवाय सरस्वती शिशु मंदिरों के । उनमें तो पढ़ाया जाता है । अब तो संस्कृति नाम की शिक्षा भी नहीं रही है ।..... **(व्यवधान)** हां, सरस्वती शिशु मंदिर.... **(व्यवधान)** मतलब स्कूल, शाखा इज सेपरेट । तो मैं आपसे यह कह रहा था कि... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मि० सलीम, शाखा और शिशु में अंतर तो... **(व्यवधान)**

SHRI MD. SALIM: Our Parliamen never allow$_s$ mention of a particlla firm. I do object. Parliament can not be used for this. He is talking ab out Saraswati sishu Mandir. It is *i* particular type of schools run by tfc< RSS. There are private school. We shoulc expunge it. Parliament cannot be usee to publicise or advertise any privat" concern which is commercially run. I is objectionable.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SA ROJ KHAPARDE Do not be so provoca live, Mr. Salim. Please, do not be si provocative. Do you know what h' is saying? It is not objectionable a all. He said 'Shishu Gharon Mein'.

SHRI MD. SALIM: No.. Saraswat Shishu Mandir.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SA ROJ KHAPARDE); Saraswati means vidya.

SHRI MD. SALIM: No. I do objeel to jt. The entire north India.. .*(Inter ruptions).*

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मि० सलीम, सरस्वती का मतलब होता है विद्या।...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्द सलीम : आर०एस०एस० के लोग नार्थ इंडिया में इस संस्था के नाम पर वाणिज्यक तौर पर चलाते हैं वहां वह राष्ट्र चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। म यह कह रहा हूं कि इस सदन को किसी भी कर्माशियल रन प्राइवट कंसर्न की पब्लिसिटी के लिए इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिये ।....... (**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम उपसभाध्यक्ष: महोदया,...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : गौतम जो, प्लीज सुनिए ।....... (**व्यवधान**)

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: We have got the highest regard for the Member? .. .(*Interruptions*),,.

यह हम से बहस कर ले ..... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Mr. Gautam, will you listen to the Chair? You are tallting on a very serious subject here in tbe House.

SHRl SANGH PRIYA GAUTAM: Yes.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) सलीम जी कुछ बातों को लेकर नाराज हो रहे हैं। आपने जो कहा है आपने कुछ और कहा, जो आप कह रहे हैं उसको जरा ध्यान में रखकर फिर आप कहिए ताकि किसी को कोई आपत्ति नहीं हो, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है और आप संक्षेप में कहिए।

श्री संघ प्रिय गौतम देखिए वह रेकार्ड पर है। मंने कहा भारतीय आजपढ़ तो आज पढ़ाई नही जा रहा है। रेकाड पर है। मां-बाप को सेवा करो, सिवाय सरस्वती शिशु मंदिरों के, मैंने इसमें क्या प्रचार की बात कही है।........ (व्यवधान)

श्री नारायण प्रसाद गुप्ता (मध्य प्रदेश) : इसमें आपको क्या आपत्ति है।...... (व्यवधान)

श्री मोहम्मद **सलीम** : वह जो भी बात कह रहे हैं कोई गलत नहीं, वह सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन बहुत समझदार आदमी यह भी हैं...(**यवधान**) वह कह रहे हैं इस देश में हमारी संस्कृति है, परंपरा है, मैं सब समझता हूं।...(**व्यवधान**) केवल आर०एस०एस० रन स्कूल के अलावा और कहीं सिखाई नहीं जाती ।....... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मि0 सलीम...(**व्यवधान**)

श्री महेश्वर सिंह (हिमाचल प्रदेश) : इन्होंने गलत नहीं कहा ।....... (**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद **सलीम** : नाम आपको एक्सपंज करना पड़ेगा।...(**व्यवधान**) आप अगर कहेंगे तो मैं कहने के लिए, तैयार हूं।...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : एक मिनट, जो मैंने यहां से सुना वह यही सुना है "सरस्वती शिशु मंदिर" यह मैंने सुना है। जो आप कह रहे हैं, वह मैंने नहीं सुना है। मैं रिकार्ड देखूगी कि रिकार्ड में क्या लिखा गया है, उसके बाद व्यवस्था दूगी। रिकार्ड में देखूंगी और बाद में व्यवस्था दूंगी।

श्री मोहम्मद सलीम : हम तो सरकार से कहते हैं कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इस संस्था को बंद कर देना चाहिए।...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडाम, इन्हें चुप करा देना चाहिए। यह एलीगेशन लगा रहे हैं एक इंस्टीयशन पर कि कॉमर्शियल है व्यवधान

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : इतने गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है। आपने फिर अपने भाषण में महिलाओं को इस तरह से कहना शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले आपने जो कहा था, उससे विपरीत कह रहे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, मैं बहुत कम पढ़ा-लिखा हूं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : देखिए, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीठासीन अधिकारी महिला है, बिल लाने वाली महिला है और बोलने वाले आप सारे पुरुष। कितनी गंभीरता आप समझ रहे हैं विषय की ?

श्री संघ प्रिय गौतम : मैंने कहा कि मैं वीणा जी के भाव को समझता हूं और उनका भाव कि आज भी महिलाओं का समाज में उचित सम्मान नहीं है, देश में उचित स्थान नहीं है as far as I have gone through the aims and objects of the Bill.. .*{Interruptions)* तो मैंने उसके कारण बताए। अब कुछ ण ग्रात हुई है और महिलाओं के लिए न पंचायतों में आरक्षण हुआ है, सिविक /नकायों में भी 30 परसेंट आरक्षण हुआ है। शिक्षा में भी वे आगे आ रही हैं और पार्लियामेंट में भी आ रही हैं। हमने यह भी देखा है कि जब महिलाओं से संबंधित मुद्दे सदन में आते हैं तो हम सब मिलकर उनके पक्ष में अपनी बात कहते हैं।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Will you please take your seat now?

श्री संघ प्रिय गौतम : मेरा भाव यह है कि मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। मैंने शुरु में भी कहा था कि महिलाओं को मैं जाग्रत होकर इस ऑप्रेशन और टार्चर के खिलाफ, जो इनके कारण हैं, उनसे लड़ना चाहिए।

मैं श्रीमती वीणा वर्मा जी के विधेयक का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री सुरिन्दर कुमार सिंगला।

SHRI SURINDER KUMAR SINGLA (Punjab); Thank y°u, Madam. I stand to support and welcome the Bill introduced by Smt. Veena Vennaji. In fact, any step to reform and improve the status of [he Indian women is always welcome. In this country for hundreds of years women have suffered great injustices not at the hands of menfolk alone but from their womenfolk also & that too, more. This is a very tragic situation. Over the last few years there have been very significant changes or Jn fact,/1 would say, a silent revolution is taking place. The Indian Parliament, particularly the late Rajiv Gandhi, hrought forward the Panchayati Raj and Nagarpalika Bill anj this itself is the biggest change that could occur in the country. In the next 10—15 years, we will be witnessing that the women would play a dominant role in the Indian society. Wherever women hive got equal rights and positions a!one with their menfolk those societies have progressed whether you rake the case of America or whether you take the case of entire Europe where wmen enjoy equal rights, equal freedom and equal power. These societies have tremendously progressed. So, considering that women have a significant place in any society, the Indian women deserve more, more than what was denied to them earlier. But one has[1] io see the Indian ethos and the Indian cultural history. As my colleague ju«* now mentioned, in 1956, when this legislation was brought, the women were given for the first time a share in their fathers' property. An hon. Member mentioned t[na]t there was no implementation. The fact of the matter is that if the women do not claim a right in their parent's property, what do we do? I consider it a good' sign; it k not a bad sign. If a small nart of that property is offered at the time of the marriage cf the girl in the form of what you call a dowry or a

marriage expenditure, it is a welcome step rather than a woman fighting ior ner rights and claims. Yes, a woman oojoy—that right, but it is not really being practised in the Indian society. But still 1 consider it a great step for the fact that it was an awaking of the women in general. I have an experi ence which 1 would like to share with the House. Shrimati Veenaji also knows that. The Indian women now, a large number, are enjoying equal rights. It is not that the Indian society in general is not aware of or is neglectful of its role or is not really accepting the modern time"s philisophy that all human beings a~e equal. The fact of the matter j" that women do not really want to lose the sense of security. Before 1 came to this House, T did discuss with friends what one should speak on the Bill. Surprisingly, when I come to support this Bill and welcome this, my wife tells me not to support this kind of a Bill and she argues that once you really establish a right in terms of a law, is likely to be a confrontation between a husband and a wife, and whether this kind of a conflict or a confrontation needed to be avoided or not, is an important question. If a wife even if there is a law which exists in the land, does not need the law to claim a right on property and the other thing, she need not. So, 1 am coming to the basic question that where this kind of a law needs to be enacted, it is not that women would really keep on claiming the rights before the marriage, but the fact is that there should be a sense of security for a wife or a woman. If she wants to exercise that right, she should. But the point that I want to make is that this is an awakening step. It brings an awakening that women have e'qual right, women have equal respect along with men. But my total emphasis is not on these kinds of laws. I would realty prefer that the Indian Government really brings compulsory education for the entire womanhood, compulsory education up to the higher secondary level and free medcal aid to women of the female children. because I find a lot of distinction or difference in the family approach towards a male child vis-a-vis a female child. In respect *ot* the male child, the parens are willing to spend any amount of money. Un the other, the family is not really looJ* ing after the female child.

In this connection, I would adve.ate two major roles for the Government as weij as the soliety in general. There should be emphasis on education axwl women's health.

Further, I have a very strong nation which I want to voice here. It is the women who are really responsible foi their bad plight. In house after house, when family functions are celebrated, they are more for the male child than for the female child; be it a birthday or any other thing. Again, when the birth of a female child takes place, the family, particularly, the woman; does not really feel honoured; she does not welcome the birth of a female child in the family.

Therefore, the point is, the basic attitude of women has to change before they can really expect any change. As has been rightly said by another hon. colleague, it is actually the women who are responsible. When a woman becomes a mother-in-law, she starts tor. turing her daughter-in-law. The elderly female tortures the younger one, i.e. the daughter-in-law. There are very few complaints' of the male member in the family torturing the daughter-in-law. It is the female, the mother-in-law, who does it.

Once again I would say that while one welcome this step in terms of bringing forward a legislation, one would like a very larger role for the Governmental as well as the voluntary agencies in helping our women-folk. Apart from this, at their own level, >*t* women not really indulge in acts of criticism or acts of maltreatment towards their own fraternity.

With these observations, Mmadam, 1 welcome this good step, the move to-wards legislating on this matter. Thank you.

SHRI NILOTPAL BASU (Wet Bengal): Madam Vice-Chairman, while defending the Bill .hat has been moved by Shrimati Veena Verma, I would at the very outset, try to put the record straight. Earlier, there was a remark that it was a peculiar situation that on, a Bill moved by a woman Member, tiie Members who were participating in the discussion were, incidentally, all males. But I believe the basic question is that all of us... (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SA-ROJ KHAPARDE): Mr. Singla, please listen to others also.

SHR SURINDER KUMAR SINGLA: Okay, Madam.

SHRl NILOTPAL BASU: Madam we are having wrong notions about the gender question. In our country, the social relations that we have are largely influenced by feudal considerations. I would say that the women's question, the gender question, is not essentially a question of male-female divide. The question of assertion of women's rights' in our context is part Pf a larger democratic issue. We can find out from tbe statistics which are provided by the Government and oiher agencies that women indeed constitute a vulnerable section jn our society in employment and education. And references were bein^ made of female foeticide. We have even declining sex ratio so far as women are concerned. So here the question of women's right to equality, fo equal citizenship, is not, only a women's question but it is a question of how our form of society, our form of Government will address the basic democratic requirements of women. I have to say this because I come from a State where we have a very rich tradition of social reform movement, of religious reforms movement, of cultural reform movement. I am proud of being a Bengali- I come from a region where peop'e like Raja Rammohun Roy and lehwara Chandra Vidyasagar took up rbis question, not as a mark of ma<ma-nirmtv to the womenfolk Hut because they felt that the requirements of a modern democratic society canno^ be fulfilled uniess women's right is established in the society. I think we cannot lose sight Of this' democratic tradition.. All the developed countries and developed societies have gone through this process, and the question of enlargement and expansion of women's right is essentially an integral part of the struggle to establish democracy in the society. That is why 1 think it will be wrong on our part if lime and again we refer t° these issues as women's question rela.ing to feminist rights and all that. Here, with all humility I would like to say that feminists themselves also, at some points of time, create trouble by _ un-necessarily trying oppose the issue as a general issue whereas essentially it is a question of human rights(it is a question of democracy.

1 he third point 1 would like to make in asserting the relevance of this Bill is .he condition of the society we are living in today. I was referring to Raja Rammohun Roy, whose basic cont* rioution, so far as the social reform mo\ ement was concerned, was that he was fighting for having a system of widow remarriage and especially against the sati pratha, and also (he educational question of women. Now we are living in such a society where, just a few years backa we had the incident ot Roop Kanwar where some people marched in the streets of a State capital, laipur, with open swords-, de.ending the right to sati. And this is an issue where we do not want to politicize tlie issue, but how can we ignore the fact that there was a very, very weak response from the Government? It was pussy-footed. It was thinking about votes while responding to that issue. Then, consider the whole context in which ih? debate about the Muslim Women's Bill came up: one of my friends bas made this point. He has a very solid case that we do have the need for religious reforms. Tlie Minister responded in a defferent manner, and I don't want to go into controversies.

lut there is a very solid argument ir avour of religious reforms in this county. We have an incident, a very ecent incident in which the Shankara-harya gave a dictum tbat women iolk annot recite the Vetlic hymns. This s (he kind of situation and this is the :ind of context in which we are living oday at the fag end of the twentieth sntury while we are talking about ending soace shuttles and we are talking if reaching other parts of the world in econds, in a jiffy due to the kind of echnological revolution that has taken ilace. We want to be at par with Khers. Everyday, day in and day out, ve are t Id in this House of the kind >/ technological advancement that we *vould* like to make and that we have o get multinational investment for lavjng that kind of technological progess, but mentally we cannot change our-elves we cannot come out of the eigh-fenth century mind-set. We cannot ?stablish equal status for women in >ur society. It js as clear as tbe day ight.

I should say that it is a very sad ttate of affairs that a Bill like this has :o be moved on a Private Members' Day. We would have been happier *it* his kind of a Bill had been piloted by the Government itself. In our nation, a forward-looking nation, a modern nation which is trying to progress at pat so far as the pace of development is oncerned, such a Bill for establishing an equal status for women had to be brought on a Private Members-' Day! It is a sad commentary on the state of affairs so far as the democratic system of governance is concerned.

So, I think, it is high time that issues like this were taken note of, I do not know, that way I am a very new Member. Theree are veteran parliamentarians. They can say, even if we adopt this Bill, what will be its fate in terms of official legislation, in terms of translating into reality tbe Spirit in which t!-2 Bill has been moved?' But 1 believe that it wiH be a futile exercise to have this kind of discussions Unless it can get reflected in the official initiatives of the Government. In this kjiul of faudal atmosphere in which we are living, it is high time that legislations were made. Not only that legislations were made but there were stringent, he most stringent implementation of those legal provisions.

The question of dowry-related atrocities on women has come up. We have a legislation, but, despite the legislation, we get answers to our questions put in Parliament that these things are increasing, that these things are on tbe rise. I do not understand why this is happening. One Prime Minister of this country talked about reaching the twenty-first century, So, this whole approach, the whole logic and argument of the Government on the one hand nnd the social reality that is there on the other hand are running counter to each other. How can this happen? I think, this Bill has provided us an opportunity to introspect really deeply into what is going wrong where. Is there any gap between what the Govern-ment is claiming on the one hand, and the social reality of our daily lives, on the other? How can this female foeticide take place? See how absurd it is. The ultra-sound technology is a very modern development of medical science. Tt has revolutionalised treatment so far as gynaecology is concerned. It is being used really to perpetrate a very very base instinct (hat is there in the male chauvinist society. When modernise and modern things are being used to really perpetuate backward ideas how difficult it becomes! So, at one point of time we have to call it a day and say. "thus far and no further", because this is a question of really being able to stand up in the comity of nations as a modern and as a forward-looking nation. We have a modern system of telecommunications: we have very modern developments in space research, but in out society we cannot defend the equal status

(Shri Nilotpal Basu)

of our womenfolk. This is a very very sorry state of affairs. This should not go on. May be in subrteies .mJ in some nuances differeence of perception be there with Shrimati Verma, but I generally support this Biil. 1 hope that drawing conclusions from this, the Govem-ment wil! legislate something on, this so that an appropriate law can be legislated and Parliament can play a positive role in this and become an instrument of corward-looking social change.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Shrimati Chandrika: Abhinandan Jain — Absent.

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल (गुजरात) : मैडम चेयरपरसन, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बिल पर बोलने का मौका दिया और बहन वीणा वर्मा को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने यह बिल प्राइवेट रिजॉल्यूशन के स्वरुप में....

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : उर्मिलाबेन, एक मिनट आप ज़रा बैठेंगी, मैं एक एनाउंसमेंट करना चाहती हूं।...

Hon. Members Shri Pranab Mukherjee, Minister of Commerce, will make a statement today at 5 p.m. regarding the Government's decision to ratify . the Agreement establishing the World Trade Organisation. Clarifications on the Statement will be in Monday i.e. Ith December, 1994.

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, may I put Jt in record that it is.vary very unfortunate that such a very important statv»k*«vt on the membership of WTO would be made at the very end of tlie Jay, when in any case the attend ance is very ih'n today being Friday? it is \ tt the announce-

ivas not made earlier. I want to put it on record ihat I strongly resent ihe way we are being treated by the Commerce Minister on this particular issue.

TME VTCE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): frhe Commerce Min'ster has to make a statement in the other House also.

BIPLAB DASGUPTA (West Bangal): Yes, but why at 5 o'clock ou Friday? Why not earlier? Why has the annuncement been made now at 4 o' ? Why was it not done before?

SliRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): It is an announcement on an international issue. The statement is being made within one hour from now. Purposely Lt is being done. It has not been done inadvertantly.

THE VICE-CHIRM AN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Virumbi, you must understand one thing. Today being a Pii-vate Members' day, there was no other time. He has to make the statement at 5 o' clock, and after that he has to make the statement in the Lok Sabha also. So, we cannot blame the Minister for this small thing. You can ask clarifications on Monday. What is there in that?

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : वीणा वर्मा के इस प्रस्ताव को अपना अनुमोदन देते हुए मैं बताना चाहती हूं कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं का स्थान गौण नहीं हैं । इसके बारे में कोई

कंसीडरेशन नहीं किया जाता । उसके मंतव्य को सुनना, समझना और इसमें कुछ तथ्य हैं, ऐसा स्वीकार ही नहीं किया जाता यह हमारा सोशल स्ट्रक्चर है । मैं मानती हूं कि इसके पीछे महिलाओं की आर्थिक परतंत्रता का हाथ है, और वही इसके लिए जिम्मेदार है । हमारे समाज में महिला पुरुष पर आधारित होती है । अपने निभाव के लिए, अपने विकास की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र नहीं है । अपने तो क्या, अपने बच्चों के विकास के बारे में मां होते हुए भी व निर्णय नहीं ले सकती है । इस तरह से कोई भी निर्णय लेने का अधिकार हमारे समाज में महिला को नहीं है । इसकी वजह यह है कि महिला आर्थिक रूप से पराधीन है और अगर यह परिस्थिति नहीं बदली जाएगी तो महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है। हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है कि जिसके पास आर्थिक स्वतंत्रता है, उसी का समाज में महत्व होता है । हमारा सोशल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो जो अपर कास्ट माने जाते हैं, साधन-सम्पन्न लोग हैं, उनका समाज में प्रभाव होता है और जो लोग पिछड़े हुए हैं, अपनी आजीविका की सुविधाएं भी जिनके पास पूरी तरह से नहीं हैं, ऐसे लोगों की समाज में कोई गिनती नहीं होती—चाहे वह शैड्यूल्ड कास्ट का हो, शैड्यूल्ड ट्राइब का हो या ओ0बी0 सी0 हो—कुछ भी हो । दुख की बात तो यह है कि आजादी के बाद इन सब कम्यूनिटी के लोगों को ऊपर उठाने के लिए स्पैशल प्रोग्राम शुरु किए गए, उनको विशेष अधिकार दिये गये, प्रोटैक्शन दिया गया लेकिन महिलाओं के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी इस बात के लिए गंभीर नहीं हुई। कहीं कोई छोटा-मोटा प्रोग्राम महिलाओं के विकास के नाम पर लाया जाता है, कहीं थोड़ी बहुत रकम उनके लिए दे दी जाती है लेकिन महिला भी एक व्यक्ति है और समाज में उसका पुरुष के समान ही योगदान है, इस आधार पर उसके लिए जो कुछ करना जरूरी है, वह सब कुछ करने के लिए गंभीरता से किसी ने भी, इस हाऊस में या इस हाऊस के बाहर, नहीं सोचा है । इसी वजह से ही समाज में महिलाओं की स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है । आजादी के पहले भी दहेज प्रथा थी और आज भी दहेज प्रथा प्रचलित है । जिन परिवारों में पहले यह प्रथा नहीं थी, उनमें भी यह प्रथा चल पड़ी है । हमारे गुजरात में दो कम्यूनिटी ऐसी थीं जहां दहेज का रिवाज था— चरोतर के पाटिल और सूरत के अनाविल। लेकिन आज सभी जगह लेने देने का व्यवहार इतना बढ़ गया है कि चाहे हम उसको दहेज का नाम दें या न दें लड़की के पिता को लड़की की विवाह के समय देना ही पड़ता है । अगर देने में कुछ कमी रह गयी या गरीब मां-बाप उसे कुछ नहीं दे पाए तो उसके लिए वह लड़की जो बहू बनकर जा रही है, उसको परेशानी होती है। उसके ऊपर अन्याय और अत्याचार होते हैं । उसको अपमानित किया जाता है । उसको घर से निकाल दिया जाता है । एक-दो बच्चे की मां होते हुए भी महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है । अपने बच्चों से अलग भी कर दिया जाता है । पिता के घर से पैसा लाने के लिए तरह-तरह के लिए महिलाओं के ऊपर दबाव डाला जाता है । यह सब हम जानते हैं इसकी डिटेल में जाना कोई जरुरी नहीं है, ऐसा मैं मानती हूं । मिलकियत का अधिकार 1956 के कानून से दिया गया लेकिन उसका इम्पलीमेंटेशन नहीं हुआ । लड़की मांगती भी नहीं है । लड़की का पिता या भाई खुद देते भी अगर नहीं हैं । इसमें कई लूपहोल्स हैं लड़की उस कानून का उपयोग करे तो इस कानून के होते हुए भी वह लाभ नहीं [illegible] सकती है । यह जो प्रस्ताव यहां रख [illegible] गया है इसमें तो पति की मिल्कीयत है, पति का जितना हिस्सा पत्नी का है चाहे वह स्थावर हो या अस्थावर अपनी उपार्जित हो या अपनी उपार्जित न हो, यह जो सुझाव है मैं इसका पूरा पूरा समर्थन करती हूं । मैं जानती हूं कि जब इसका इम्पलीमेंटेशन होगा तो समाज में कुटुम्ब में छोटे-मोटे प्रोब्लम्स होंगे ही । ये जो प्रोब्लम होते हैं यह तो हर मनुष्य के व्यवहार में होते हैं । इतना होते हुए हम दूसरे कामों में यह सोचते नहीं हैं इन

प्रोब्लम की वजह से उस बात को छोड़ दें। हमारे समाज में ऐसे कई रीतिरिवाज हैं, कई कानून हैं जिनका पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता। फिर भी हम ऐसे कानूनों को जो समाज के लिए लाभकारी हैं, समाज कल्याण के लिए जरूरी हैं, उनको रखते हैं। इसी तरह से इस कानून को कि इसमें प्रोब्लम्स होंगे इसलिए इसको निकाल दें, नकार दें, यह ठीक नहीं है। कहीं-कहीं ऐसी भी चर्चा होती है कि अगर लड़की को अधिकार दे दिया जाए तो कुटुम्ब में जो प्रेम का संबंध है उसमें तनाव आ जायेगा। क्योंकि आज तक बहन को मिल्कीयत देने का अधिकार देने की पद्धति नहीं थी। शुरू शुरू में उनको एक्सेप्ट करने में प्रोब्लम्स जरूर होगी। ऐसी प्रोब्लम्स तो भाई-भाई में मिल्कीयत के बंटवारे में भी होती है। यहा तक कि कोर्ट में चले जाते हैं। हम उस बारे में ऐसा नहीं सोचते कि भाई-भाई में मिल्कीयत के बंटवारे के लिए झगड़े होते हैं इसलिए मिल्कीयत का बंटवारा करने का अधिकार ही छोड़ दें। भाई-बहन में मिल्कीयत के बंटवारे में झगड़ा होगा ऐसा सोच कर इसका विरोध करना मैं समझती हूं गलत बात है। जो होना है वह होगा ही। हमें तो जो प्रोब्ल हैं उन्हें फेस करनी है। उसमें से रास्ता निकालना है। अगर वास्तव में समाज में लड़के का जितना अधिकार है उतना ही लड़की का अधिकार स्वीकार करेंगे और लड़की के जो ड्यू राइट्स हैं वह उनको दे देंगे तो झगड़ा होने वाला नहीं है। अगर प्रेम से बंटवारा कुटुम्ब में होता है तो कभी झगड़ा नहीं होगा, हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। कई क्रिटिक्स इसका विरोध कर रहे हैं यह गलत बात है। हमारी महिलाएं भी कई ऐसा सोच रही हैं कि भाई-बहन के रिलेशंस में तनाव आ जायेगा। यह उनका सोचना गलत है। महिलाओं को इस तरह से नहीं सोचना चाहिए।

ऐसे ही दूसरे जो पहलू हैं। महिलाओं को घर से बाहर निकाल दिया जाता है उस वक्त उसके पास अपनी कोई सुरक्षा नहीं होती। पिता के घर में जब लड़की वापस आती है तो उसका कोई मान-सम्मान नहीं रहता है। अगर माता-पिता नहीं होते और भाई-भाभी के साथ जीवन गुजारना हो, महिला पढ़ी-लिखी न हो, अपने पांव पर खड़ी न रह सके तो ऐसी परिस्थिति में उसकी हालत दयनीय होती है। मेहनत मजदूरी करके वह अपना और अपने बच्चों का भरण-पोषण करती है। कभी कभी तो हालत ऐसी होती है कि समाज का पुरुष वर्ग उसका एक्सप्लाइटेशन करता है, ऐसे कई किस्से हमने देखे हैं। अगर मिल्कियत में स्त्री का समान अधिकार मिलता है और वह उस मिल्कियत को अपनी इच्छा के अनुसार बेच सकती है या विल बनाकर दे सकती है, अगर ऐसा अधिकार उसको मिलता है तो इससे पुरुषों पर थोड़ा सा कंट्रोल हो जायेगा कि हमारी मिल्कियत दूसरे घर में न चली जाये। समाज में चैक्स और बैलेंसेज खड़ा करने के लिए यह बात बहुत जरूरी है कि स्त्रियों को यह अधिकार दिया जाए।

दूसरी बात मैं यह बताना चाहती हूं कि हमारी सरकार ने महिलाओं को राजकीय अधिकार दिए हैं लेकिन उनका पूरा इंम्पलीमेंटेशन हो, इसके लिए हमें 33 परसेंट रिजर्वेशन महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में दिया, पंचायत राज में दिया। लेकिन आप सब जानते हैं कि जहां आर्थिक समानता नहीं होती, वहां राजकीय समानता का कोई अर्थ नहीं रहता। आप सब जानते हैं कि आज भी महिलाएं पंचायतों की सदस्य हैं। लेकिन पंचायतों की मीटिंग में महिलाएं या तो जाती नहीं और अगर जाती हैं तो जो पुरूष मेंबर कहते हैं वही करती हैं और उनकी बतायी हुई जगह पर अंगूठा लगाकर चली जाती है। कहीं-कहीं तो घर पर ही उसके साइन ले लिए जाते हैं। ऐसे कई किस्से हैं जहां पत्नी के स्थान पर उनका पति मीटिंग में शामिल होता है और वह घर पर रहती है। नाम पत्नी का होता है। यह सब होता है और हमारे समाज में होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसे आर्थिक स्वाधीनता नहीं

है । अगर सच्चे तौर पर स्त्री को राजकीय अधिकार देना है, उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसको स्थान देना है तो हमें आर्थिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है । जब हम यह प्रस्ताव कर रहे हैं तो हमें स्त्री के स्टेटस को प्रस्थापित करने के लिए आर्थिक अधिकार, मिल्कियत के अधिकार भी उसको देना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।

तीसरी बात मैं बताना चाहती हूं कि जैसे हमारे समाज में त्यक्ता का स्थान नहीं होता है, वैसे ही समाज में विधवा की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती । विधवा चाहें कितनी ही पढ़ी-लिखी हो, वह कितने ही अच्छे घराने की हो, पैसे वाली हो, फिर भी उसका स्थान कुटुम्ब में लास्ट होता है और एक दासी की तरह उसको काम करना पड़ता है। घर से बाहर निकलना – अभी तो बहुत से चेंज आ रहे हैं लेकिन कुछ साल पहले विधवा स्त्री घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। अगर बाहर जाना हो तो मंदिर में ही जा सकती थी । कथा-वार्ता सुनने के लिए वह वहां जा सकती थी । लेकिन पब्लिक लाइफ में, सोशल वर्क में और राजनीति में भाग लेने का उनको अधिकार नहीं था। उनको अपने कुटुम्ब में राय देने का भी अधिकार नहीं था। अपने बच्चों की रक्षा के लिये, अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए सब कुछ सहकर वह अपने पिता के घर में या श्वसुर के घर में अपना निभाह करती थी। जो महिलाएं घर में लक्ष्मी की तौर पर आयीं हैं, जिनके बच्चे भी हैं, बच्चे हों या न हों, उसको उस घर में पूरे अधिकार के साथ रहना चाहिए जिस घर में वह अपने पिता के घर को छोड़ कर आयी है, बहुत बड़ा बलिदान करके आयी हैं । लेकिन इन महिलाओं को अपने पति के घर में भी कोई अधिकार नहीं है यह बड़ी कमनसीबी की बात है । स्त्रियां सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक घर में काम करती हैं। पति कुछ भी कमाता हो, उतनी छोटी सी आमदनी में अपना संसार निभाती हैं लेकिन महिला का कोई एप्रिसियेशन नहीं होता है । जब पति नाराज हो, सास ससुर नाराज हों, या ससुराल वाले कोई रिश्तेदार नाराज हों और उनके एक्स्प्लायटेशन का वह विरोध करे तो उसको घर से निकाल दिया जाता है । यह परित्यक्ता की स्थिति, विधवा की परिस्थिति हमारे समाज में है । अगर उसको मिलकियत का अधिकार नहीं दिया गया तो विधवा की स्थिति में कोई भी सुधार आने वाला नहीं है। मैंने ऐसे अच्छे-अच्छे घराने देखे हैं जिनमें विधवा को मिलकियत का मेंटेनेंस का अधिकार नहीं है । खाना खाना हो तो घर में रहो, काम करो और खाओ, यदि अन्याय का विरोध करना है तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है, स्वतंत्र रहना है तो कुछ मिलने वाला नहीं है । अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाना, लिखाना है तो कुछ नहीं मिलने वाला है । उसके ससुराल वाले जो तय करेंगे वैसे ही अगर उसको रहना है तो उसको भरण-पोषण का अधिकार रहता है । इसलिए इस परिस्थिति को बदलना चाहिए । शादी कर के आई हुई लड़की को अपने पति की मिलकियत का पूरा अधिकार हो, भरण-पोषण का भी अधिकार हो, बच्चों के निर्वाह करने का और पढ़ाई का भी अधिकार हो। जिस तरह से वह अपना जीवन गुजराना चाहती है, वैसा जीवन जीने का उसको अधिकार हो । मगर यह तब होगा जब पति की मिलकियत में महिला को आधा हिस्सा मिले । तभी यह परिवर्तन हो सकता है । थोड़ी देर पहले, अभी हमारे माननीय सदस्य श्री कटारिया जी बोल रहे थे । मैं उनकी इस बात को दोहराना जरूरी समझती हूं कि हमारे यहां की लड़कियां शादी कर के विदेशों में जाती हैं । हमारे ही देश के वहां रहने वाले लोग यहां आकर अपने समाज की लड़कियों के साथ शादी करके बहू को लेकर विदेश चले जाते हैं । जब लड़की वहां पहुंचती है तो मालूम होता है कि यह लड़का तो पहले से शादी-शुदा है और अपना पूरा संसार उसका बनाया हुआ है और इस लड़की को लौंडी की तरह से काम करने के लिए बहू के रूप में

लाया गया है। या तो उस लड़की को यह स्वीकार करना पड़ता है नहीं तो उसको विदेश में घर से बाहर निकाल दिया जाता है । ऐसी परिस्थिति में कई लड़कियों को हमने देखा है। आजकल पत्र-पत्रिकाओं में बार-बार पढ़ते हैं। इसलिए इस सुझाव का अडिशन इस प्रस्ताव में करना बहुत जरूरी है, यह मैं अपनी बहन वीणा जी से विनती करती हूं अगर विदेश में हमारे देश की महिलाए जाती हैं तो उनके पति की विदेशी मिलकियत में महिला को अधिकार दिये जाने का प्रावधान करना बहुत जरूरी है । यह बात कहते हुए मैं फिर से यह दोहराना चाहती हूं कि महिलाओं को मिलकियत में पूरा-पूरा हिस्सा हो, यह बहुत जरूरी है । यह जो प्रस्ताव है यह एक प्राइवेट मेंबर का प्रस्ताव है, मैं ऐसा मानती हूं कि हमारी सरकार यह प्रस्ताव भविष्य में सरकारी तौर पर यहां पर लायें और महिलाओं का दर्जा प्रस्थापित करने में मदद करें। आप सबका इसमें सहयोग रहेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है । धन्यवाद । आभार।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : बहुत-बहुत धन्यवाद उर्मिला बहन। श्री विरुम्मी।

श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल : महोदया, जब बैकवर्ड कम्युनिटी पर अत्याचार होते हैं, माइनारिटीज के ऊपर अत्याचार होते हैं तो पूरा हाउस खड़ा हो जाता है और टाडा के प्रोविजन की डिमांड करते हैं । अगर महिलाओं पर अत्याचार हों तो पुरुषों के ऊपर भी टाडा-याडा का इस्तेमाल होगा या नहीं होगा **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : अगर होम मिनिस्टर साहब यहां होते तो मैंने भी आपके सुर में अपना सुर ज्वाइन किया होता कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं तो पुरुषों के ऊपर भी टाडा लगाया जाये । **(व्यवधान)**

श्री रामेश्वर ठाकुर : मैं होम मिनिस्टर साहब को सूचित कर दूंगा ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : देखिये, सिर्फ तीन ही महिलायें हाउस में हैं और टाडा की मांग कर रही हैं पुरुषों के खिलाफ ।

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBfc Madam Vice-Chairman, I stand here to support the Bill moved by the hon. Member, Thirumahi Veena Verma. This Bill has been brought forward to protect the rights of married women. They want equal right in the husband's property. They want their basic needs to be met on an equal footing. The., access to children in case of a divorce. In case of death of their husbands, as widows, they want employment. Regarding property of the husband, as the first claimant, they want absolute right.

liven though I support this Bill, J think it is not a comprehensive one. Some arguments may be put fox-ward by the hon. Minister. He will request the hon. Member to withdraw the Bill. That is the usual practice which we have been seeing on all Fridays. How many Private Members' Bills have been introduced and discussed during the last three years? How many assurances have been given by the Treasury Benches that they are going to bring a comprehensive Bill? How many Bills have been actually brought forward on the basis of such assurances? I feel that it is a futile exercise. But in spite of that, as Members of this august House, we have got some duty to perform. In that sense I stand here to say something on this Bill. Madam, before we go through the Bill we should know the condition of the society in which the women ar© suffering. First comes the condition, secondly, the reason and, thirdly, the remedy. I feel that should be the approach. Recently there was an article in the *Indian Express,* in which it was stated and I quote.

" The stresses and strains of city life leading to domestic disharmony have started taking their toll. Due to marital discond, the courts in different

parts of the country, particularly in cities, are flooded with divorce petitions .

The national capital Delhi is heading the list with 8,000 to 9,000 petitions filed in a year, followed by Bombay where the divorce cases havei more) than dtubled in the last one decade.

In Punjab and Haryana High Courts, in recent years, there is an increase of 150 per cent. Keraia, the land of literates and Gulf money, has an increase of 350 per cent during tha last 10 years. So also in Calcutta, where the interest rate is 10 per cent, but it is significant and gradual. Madras considered the bastion of tradition, has an annual increase of 15 per cent in the past few years, and more than 1,000 petitions were filed last years.' Madam, this is the situation. At least, as regards the divorce mentally, I think we have got integration. This is tha Ion throughout India.

Madam, I support this Bill because the situation is a very dangerous one. If it is laft like that, the future generation will be affected. The party to which I have) the honour to belong always supports a rational approach. We support social development. Dr. Kalaignar, when ho was the Chief Minister of Tamil Nadu, had introduced several Bills to uplift the downtrodden as well, as women. Coming only *to* women's issue, I say, Madarn, that dumg the D.M.K, rule we had passed a Bill, which, I think, became law, in respect of the right to inherit property of the parents. Before the only sons could inherit the property. Now, both son and daughter have equal right.

SHRI SANGH fpRIYA GAUTAM: Have married daughters got a right?

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: Yes, married daughters also. Then thirty per cent of the seats in all branches of the co-operative organisations as well as in local bodies were reserved for women As for the poor girls, we itroduced a scheme under which the Tamil Nadu Government was giving them, if they were not able to get married, an amount of Rs. 5,000, provided they studied up to the eighth standard. We put this condition so that at least they coull go to the school and finish their study up to 8th standard. We also supported widow re-marriages. We have also supported them financially. Madarn, when Dr. Kala. ignar was the Chief Minister of Tamil Nadu, he tried his best to uplift the women folk. Madam, we fell that the same thing should extend to other States also. I feel that omen are subjected to ordeal for centuries together. Even Sita was forced to prtve her chastity. She did not suspect the character of Rama. But d to prove her chasttey some 2000 years ago. Somebody talked about Ravana also. We feel that the war between Rama and Ravana was a Devasura Yuddha. According to Pandit Jawaharlal Nehru, th s was actually was be-ween two races, i.e. Aryans and Dravidians. In that context I said that Ravana did not touch Sita. But, Sambuka was murdered. He did not do anything wrong. He was jn a meditative condition. Unfortunately, he was born as an untouchable. He was murdered by Rama. It is a totally different matter. I don't want to go into that.

Coming back to the Bill, Madam, there are many lacunae in the Bill. I agree that they musj have the rights. I would like to "ead Clause 5(2). It says:

"Any transaction or business enter-' red into in violation of sub-section (6) of section 3 shall be null and void."

That is what they say. What is the violation? What does sub-section (6) of section 3 say? It says:

"She shall be consulted by her husband in matters of family business and other financial transactions made out of the property of her hushand or of the joint family."

If the property is sold by the husband without consuming his wife then automatically it becmes null and void.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: There should be mutual consent.

SHRI S. VIDUTHALAI VIRUMBI: I agree with that. Then there is another controversy. Section 3(3) says:

"She shall be entitled to have an equal share in the property ofher husband from the date of her marriage and shall also be entitled to dispose of her share in the property by way of salt, gift, mortgage, will or in any other manner whatsteer."

I would like to inform that a woman > a" - si! the property without the consent of her husband but a man cannot sell the property without the consent of his wife. I feel that some lacuna is there. this aspect has to looked into. I know they are not going to accept il.

Now, the thing is, ,t is not that bylaw aloae we can sold all the problems. According to fhe Hindu Succession Act, when a man d es, only his wife gets the property. Now, this Bill is brought forward to see that a \vomaji can enjoy tbe; property rights even when her husband tve. I thin'i there is no harm in it. She must have equal tights. Then there are dowry deaths, v.'ife-beating, murders, etc. These things are bad. I think harassment from both the sides, i.e. from the male side and from the female side is very bad.

You cannot find any conflict between a daughter-in-law and her father, in.law Conflict* always raise between a doughter-in-law and her mother-in-law. A mother-ui-law does not want to give any rights or share jn praperties to her daughter-in-law. Siniila-ly, even sisters-in-law are nol rca'l- *i'* give any rights to their own sister-in-law. This, js the real situation. If we do not address this problem, then, one day the male Members have to bring another Bill to safeguard [here own rights. That type of a situation should not arise.

Another situation is that generally HI mm want to have children in their custody even after divorce. I fully agree that they must have this right. But, as regards[1] one issue which was raised by hon Gautam, if a woman inherits the property as a wife and, after divorce. happens to remarry and leaves her children in he lurch, what will be the position of these children, who are deserted hy their father as well as their mother? Tbey will only become orphans and be not left with any property even though they would be the legal inheritors of such property. There is no provision in this Bill as regards <his point. In case of such a situation, what will be the relevant provision? This aspect has to be looked into.

The prevaling situation is that it is a woman herself who harrasses another woman. For instance, after having lived as a daughter-in-law, once she becomei a mother-in-law. she acts as a typcial mother-in-law. She doees not realise that having been subjected to ill-treatment in the earlier days she should serve as an idea! mother-in-law. Seventy to eighty per cent of the women do not think like that. This is the situation that prevails: irrespective of religion or <-'aste. in snv State, for that matter. That h the common phenomenon in this country. Apart from legal divorces, there are instances of separations because •>f son'al reasons. No census has been taken to find out how many families hpve been separated this way. Unless this is found out, we cannot determine the real gravity of the problem. The Government should take this aspect into consideration while finalising this Bill. The Government should have consulta-'iom on this i«sue with eminent persons concerned and bring a comprehensive Pill sO that in future there will not be any necessity for bringing in another

Bill covering various ofher aspects. 1 hope that the Minister will nol merely *give* an assurance but that he wiH see to it that a comprehensive Bill is brought jn. This is not a comprehend ve Bill, according to my perception. I-, js only when a lomprehensive Bill is brought "> will the rights of women be actually protected.

One major issue is that of women's education. If a man is educated, he alone is educated, but if a woman is edu-ctaed, then the whole family is educated. We know what the culture prevailing in India is In Tamil there is a proverb sayiug that a man is 'Rama" inside the House. But, he should be a 'Rama' tlie House but he js a 'Krishna' outside inside as well as outside the house. *I* think this would please Mr. Gtmtam at least. The right to education is one of our Directive Principles itself. What have we done? Why have we not implemented the Directive Principle? We have not takea it seriously. If we had taken it seriously., then, women could have got education up to the matric level a j least. If, at least, sixty per cent of thr women had sot their education, most oi th" problems that we are confronting today would have been wiped out. It shouJd be some sort of a theory inculcated in the minds of the people of !"<ii:i to ne to it that the womenfolks ate protected because, it is &ey v,ho constitute half of our population, half of our lives. In my opinion, the idea be-bind thise Bill js totally welcome. I would like to congratulate the hon. Memltei who has brought forward this Bill. At the same time, it shotid be a comprehensive one. Therefore I request ,*he hon. Minister to hrinet another comprehensive Bill covering all th '■ issues concerned.

With these words, I thank yon very much.

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार) : मैडम, सबसे पहले मैं श्रीमती वीणा वर्मा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सवाल को प्राइवेट मेंबर्स बिल के माध्यम से पेश किया । इस बिल का मैं स्वागत करता हूं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से । दुख की बात यह है कि दुनियां और हमारा देश अब कुछ वर्षों के बाद इक्कीसवी सदी में प्रवेश करने जा रहा है, लेकिन आप देखें हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है ? कुल आबादी का 50 प्रतिशत महिलायें हैं, लेकिन वे अशिक्षा से ग्रसित हैं । आजादी के 48 साल होने जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं की शिक्षा के लिये, उनके विकास के लिये, उनकी सुरक्षा के लिये कोई समुचित व्यवस्था हमारे समाज और हमारी सरकार की ओर से नही की गई है । यही कारण है आज हमारी महिलायें समाज में उपेक्षित हैं, प्रताड़ित होती हैं और यहां दहेज प्रथा है, इसके कारण हमारी बहनें और बेटियां आज दर्दनाक स्थिति में हैं ।

मैडम, हमारी बहन उर्मिला जी ने यह सवाल उठाया कि हमारी लड़कियां विदेशों में चली जाती हैं विदेशियों के साथ शादी करके । आखिर क्यों चली जाती हैं ? इसके दो कारण हैं– एक कारण यह है कि दहेज प्रथा परिवार को मजबूर करती है कि वह अपनी बेटियों को किसी के हवाले कर दें और दूसरा कारण है गरीबी । हमारे भारतीय संवि-धान ने महिलाओं को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन व्यवहार में यह समानता का अधिकार है कहां ? सचमुच में महिलाओं को समानता का अधिकार तभी प्राप्त होगा, जब उन्हें अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी । हमारी सरकार और हमारे समाज को इनके लिये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी । वैसे तो लड़के– लड़कियों, दोनों के लिये यह व्यवस्था करनी चाहिये, लेकिन आज जो विशेष स्थिति है हमारे समाज में बच्चियों की और महिलाओं की, उसको ध्यान में रखते हुये हम इस बिल के माध्यम से और सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और मांग करते हैं कि कथनी और करनी में मेल हो । किसी भी सभ्य समाज को विकसित करने के लिये आवश्यक

है कि आबादी की इस आधी संख्या को आप शिक्षित करें, उनको बराबरी का दर्जा दें, उनको समाज में बराबरी का सुअवसर प्रदान करें ताकि वह भी विकास कर सकें और जो पुरुषों और महिलाओं के बीच एक खाई बनी हुई है, असमानता बनी हुई है, वह असमानता दूर हो।

मैडम, हमारे कुछ मित्रों ने आशंका जाहिर की कि अगर संपत्ति में महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा तो विवाद खड़े होंगे। आज यह अधिकार नहीं है तो क्या महिलाओं के साथ पुरुषों का विवाद नहीं है? आज जुडिशियल सेपरेशन क्यों किया जाता है, तलाक क्यों दिया जाता है, उनको प्रताड़ित क्यों किया जाता है? आज तो कोई संपत्ति का अधिकार या इसमें कोई ऐसा हक नहीं है, जिस हक की मांग इस बिल के माध्यम से की गई हैं, कारण क्या है, आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। हमारा समाज आज भी सामन्ती समाज है और हम लोग हैं वह सामन्ती संस्कार से ग्रसित हैं। बुरा नहीं मानेंगे, माफ करेंगे। हम लोग जो पुरुष हैं, वे सामन्ती संस्कार से अभी भी ग्रसित हैं। अपने को प्रगतीशील कहते हैं, अपने को क्रांतिकारी कहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जब महिलाओं को बराबरी का अधिकार देने की बात आती है तो हमारा वह सामन्ती संस्कार जाग जाता है और फिर हम कोई न कोई बहाना ढूढने लगते हैं कि महिलाओं को यह अधिकार देने से यह विवाद पैदा हो जाएगा, वह विवाद पैदा हो जाएगा। तो बाप और बेटे में क्यों विवाद पैदा होता है, भाई-भाई में क्यों विवाद पैदा होता है? विवाद तो पैदा होते हैं, होंगे, लेकिन विवाद का समाधान ढूढने का काम भी हमारा है और सही मायनों में महिलाओं को अगर आप तरक्की देना चाहते हैं, उनका उत्थान चाहते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं तो यह प्रधान जवाबदेही हमारी है, पुरुषों की है कि हम उनको सुरक्षा प्रदान करें और उनको हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार व्यवहार में दें, कानून में नहीं। कानून तो बहुत बने हुए हैं। क्या बलात्कार करने का कानून है? लेकिन आज बलात्कार हो रहे हैं। हमारे मित्रों ने सही ही कहा कि अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया जाता है कि लड़की होगी या लड़का होगा और अगर यह पता चले कि लड़की होने वाली है तो एबारशन करा लिया जाता है, हालांकि सरकार ने एबारशन को अवैध करार दिया है।

मैडम, भारतीय समाज को अगर हम देखें तो शुरू में भारतीय समाज मात-प्रधान समाज था, लेकिन जब समाज में निजी सम्पत्ति का जन्म हुआ तो धीरे-धीरे समाज में सम्पत्ति का अधिकार पुरुषों को होने के कारण वह मात-प्रधान समाज बदलकर पित-प्रधान समाज बन गया और आज हमारा समाज पित-प्रधान समाज है। मैं इतिहास की व्याख्या करने के लिए यहां खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, कि इस बिल के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है, इसमें कुछ लेक्यूना हो सकते हैं, अनियमिततायें हो सकती हैं, यह सब बातें मानने की हैं, लेकिन हमारा निवेदन होगा सरकार से कि एक कम्प्रिहेंसिव बिल आप लाइए ताकि महिलाओं को सही मायनों में जीवन के हर क्षेत्र में बराबरी का

अधिकार मिल सके, जिसमें सम्पत्ति का अधिकार होना भी आवश्यक है। हमारा समाज तो ऐसा है कि अगर मेन्टिनेंस देने की बात आती है तो समाज में बवाल शुरू हो जाता है, हंगामा मच जाता है। हमारे सोचने का विषय यह है मानवीय दृष्टिकोण से कि जो किसी की पत्नी बनती है वह भी तो समाज में किसी न किसी की बहन और बेटी है। अगर इस मानवीय दृष्टिकोण को अपनाया जाए, जो सच्चाई है जीवन की, समाज की और इस बुनियाद पर अगर अपने को देखें तो निश्चित तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार देने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा और यह जवाबदेही हम पुरुषों की है। कुछ जो हमारे संस्कार हैं, उन संस्कारों को छोड़ना पड़ेगा और भारतीय समाज को अगर सचमुच आगे बढ़ाना है तो यह 50 प्रतिशत की जो आबादी है, इसको समाज में एक विशेष अवसर प्रदान करना पड़ेगा, जैसे समाज के कुछ अलग-अलग तबकों को, वर्गों को आप विशेष अवसर प्रदान कर रहे हैं। अगर समाज की यह 50 प्रतिशत आबादी अशिक्षा के गर्त में रहेगी, प्रताड़ित होती रहेगी, उसकी समाज में कोई प्रतिष्ठा नहीं होगी तो भारतीय समाज को हम 21वीं सदी में नहीं ले जा सकते हैं।

मैं बहुत ही संजीदगी के साथ और जवाबदेही के साथ यह बात आपके समक्ष रख रहा हूं। मैं ज्यादा समय इस पर नहीं लेना चाहता लेकिन इस बिल का समर्थन करते हुए मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में एक कांप्रिहेंसिव बिल लाए ताकि महिलाओं को पति की संपत्ति में अधिकार मिले। इससे बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कौन कहता है बिगड़ जाएगा? हम लोगों का अपने जीवन का तजुर्बा है कि अगर हमारा व्यवहार ठीक रहे तो पत्नी का व्यवहार भी ठीक रहता है। हमारे समाज में पति लोग क्या चाहते हैं कि हम खुलेआम दूसरी महिलाओं से मिलें और अगर उनकी पत्नी दूसरे मर्दों से बात भी कर ले तो यह उनको बरदाश्त नहीं होता। तो आपको यह अधिकार है और पत्नी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी मर्द से बात भी कर ले। इतना अविश्वास आपको कैसे हो जाता है? इतने वर्षों से आपने अपनी जिन्दगी की शुरुआत की है। आप इतना अविश्वास क्यों करते हैं? इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है इसीलिए आपको अविश्वास होता है।

हम लोगों के भी बाल-बच्चे हैं, पत्नी है। हम लोगों ने कोई तनावपूर्ण जीवन तो नहीं बिताया है। कष्टमय जीवन हमने अवश्य बिताया है लेकिन पत्नी ने बैटर-हॉफ के रूप में सहयोग किया है। इसलिए यह कहना कि अगर पत्नी को यह अधिकार मिल जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, वह सब लेकर चली जाएगी, यह ठीक नहीं है।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और पुनः जोरदार तरीके से मांग करता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, व इस बारे में एक बिल लायें ताकि महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में यह अधिकार मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

شری جلال الدین انصاری (بہار):

میڈم، سب سے پہلے میں شریمتی وینا ورما جی کو بدھائی دیتا ہوں کہ انہوں نے اس سوال کو "پرائیویٹ ممبر بل" کے مادھیم سے پیش کیا۔ اس بل کا میں سواگت کرتا ہوں اپنی اور سے اور اپنی پارٹی کی اور سے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ دنیا اور ہمارا دیش اب بیسویں شتابدی کے بعد اکیسویں صدی میں پرویش کرنے جا رہا ہے لیکن آپ دیکھیں ہمارے سماج میں مہلاؤں کی استھتی کیا ہے۔ کل آبادی کا ۵۰ پرسینٹ مہلائیں ہیں لیکن وہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں۔ آزادی کے ۴۸ سال ہونے جا رہے ہیں لیکن مہلاؤں کی شکشا کے لئے، ان کے وکاس کے لئے، ان کی سرکشا کے لئے کوئی سموچت ویوستھا ہمارے سماج ہماری سرکار کی طرف سے نہیں کی گئی ہے۔ یہی کارن ہے آج ہماری مہلائیں سماج میں اپیکشت ہیں۔ پرتاڑت ہوتی ہیں اور یہاں تک دہیج پرتھا کا اس کے کارن ہماری بہنیں اور بیٹیاں آج دردناک استھتی میں ہیں۔

میڈم، ہماری بہن ارملا جی نے یہ سوال اٹھایا کہ ہماری لڑکیاں ودیشوں میں چلی جاتی ہیں۔ ودیشیوں کے ساتھ شادی کرکے۔ آخر کیوں چلی جاتی ہیں۔ اس کے دو کارن ہیں۔ ایک کارن یہ ہے کہ دہیج پرتھا پریوار کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی کے حوالے کر دے اور دوسرا کارن ہے غریبی۔ ہمارے بھارتیہ سموِدھان نے مہلاؤں کو سمانتا کا ادھیکار دیا ہے۔ لیکن ویوہار میں سمانتا کا ادھیکار ہے کہاں۔ سچ مچ میں مہلاؤں کو سمانتا کا ادھیکار تبھی پراپت ہوگا جب انہیں اینواریہ اور نی شلک شکشا پراپت ہوگی۔ ہماری سرکار اور ہمارے سماج کو ان کے لئے نی شلک اور انی واریہ شکشا کی ویوستھا کرنی ہوگی۔ ویسے تو لڑکے لڑکیاں۔ دونوں کے لئے یہ ویوستھا کرنی چاہیے لیکن آج جو وشیش استھتی ہے ہمارے سماج میں، بچیوں کی اور مہلاؤں کی اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم اس بل کے مادھیم سے اور سدن کے مادھیم سے سرکار کا دھیان آکرشت کرنا چاہتے ہیں اور مانگ کرتے ہیں کہ شکشا اور نوکری میں میل ہو۔ کسی بھی سبھیہ سماج کو وکست کرنے کے لئے آوشیک ہے کہ آبادی کی اس آدھی سنکھیا کو آپ سنشکت کریں۔ ان کو برابری کا درجہ دیں۔ ان کو سماج میں برابری کا "سواوسر" پردان کریں تاکہ وہ بھی وکاس کر سکیں اور جو پرشوں اور مہلاؤں کے بیچ ایک کھائی بنائی ہوئی ہے۔ اسے سمانتا بنی

ہوئی ہے۔ وہ ایسے سمانتا دور ہو۔

میڈم۔ ہمارے کچھ متروں نے آشنکا ظاہر کی کہ اگر سمپتی میں مہلاؤں کو ادھیکار دیا جائے گا تو وِواد کھڑے ہوں گے۔ آج یہ ادھیکار نہیں ہے تو کیا مہلاؤں کے ساتھ پرشوں کا وواد نہیں ہے۔ آج جوڈیشل سیپریشن کیوں کیا جاتا ہے۔ طلاق کیوں دیا جاتا ہے۔ ان کو پرتاڑت کیوں کیا جاتا ہے۔ آج تو کوئی سمپتی کا ادھیکار یا اس میں کوئی ایسا حق نہیں ہے جس حق کی مانگ اس بل کے مادھیم سے کی گئی ہے کارن کیا ہے۔ میں آپکے سامنے سپشٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا سماج آج بھی سامنت سماج ہے اور ہم جو لوگ ہیں وہ سامنتی سنسکار سے گرست ہیں۔ برا نہیں مانیں گے معاف کریں گے۔ ہم لوگ جو پورش ہیں وہ سامنتی سنسکار سے ابھی بھی گرست ہیں۔ اپنے کو پرگتی شیل کہتے ہیں۔ اپنے کو کرانتی کاری کہتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ جب مہلاؤں کو برابری کا ادھیکار دینے کی بات آتی ہے تو ہمارا وہ سامنتی سنسکار جگ جاتا ہے اور کچھ ہم کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ مہلاؤں کو یہ ادھیکار دینے سے یہ وِواد پیدا ہو جائے گا۔ وہ وواد پیدا ہو جائے گا۔

تو باپ اور بیٹے میں کیوں وِواد پیدا ہوتا ہے۔ بھائی بھائی میں کیوں وِواد پیدا ہوتا ہے۔ وِواد تو پیدا ہوتے ہیں۔ پیدا ہونگے لیکن وِواد کا سمادھان ڈھونڈنے کا کام بھی ہمارا ہے اور صحیح معنوں میں اگر مہلاؤں کو آپ ترقی دینا چاہتے ہیں ان کا اتھان چاہتے ہیں۔ ان کو سرکھشا پردان کرنا چاہتے ہیں تو یہ پردھان جوابدہی ہماری ہے۔ پرشوں کی ہے کہ ہم ان کو سرکھشا پردان کریں اور ان کو ہر اکشیتر میں برابری کا ادھیکار ویوہار میں دیں۔ قانون میں نہیں۔ قانون تو بہت بنے ہوئے ہیں۔ کیا بلاتکار کرنے کا قانون ہے لیکن آج بلاتکار ہو رہے ہیں۔ ہمارے متروں نے صحیح کہا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کے ذریعہ پتہ لگا لیا جاتا ہے کہ لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا اور اگر یہ پتہ چلے کہ لڑکی ہونے والی ہے تو ابورشن کرا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ سرکار نے ابورشن کو اویدھ قرار دیا ہے۔

میڈم۔ بھارتیہ سماج کو اگر ہم دیکھیں تو شروع میں بھارتیہ سماج پردھان سماج تھا لیکن جب سماج میں نجی سمپتی کا جنم ہوا تو دھیرے دھیرے سماج میں سمپتی کا ادھیکار پرشوں کو ہونے کے کارن وہ ماتر پردھان سماج بدل کر پتر پردھان سماج بن گیا ہے

میں سماج ادھیکار دینے کے لئے ہم کو آگے
آنا پڑیگا۔ اور یہ جوابدہی ہم پرشوں کی
ہے۔ تو کچھ جو ہمارے سنسکار ہیں۔ ان
سنسکاروں کو چھوڑنا پڑیگا اور وہ بھارتیہ سماج
کو اگر سچ مچ آگے بڑھنا ہے تو یہ ۵۰
پرتیشت کی جو آبادی ہے اس کو سماج میں
ایک وشیش اوسر پردان کرنا پڑیگا۔ جیسے
سماج کے کچھ انگ الگ طبقوں کو ورگوں
کو آپ وشیش اوسر پردان کر رہے ہیں اگر
سماج کی یہ ۵۰ پرتیشت آبادی اشکشا کے
کے گرت میں رہے گی۔ پرتاڑت ہوتی رہے گی
اس کی سماج میں اپنی پرتشٹھا نہیں ہوگی
تو بھارتیہ سماج کو ہم اکیسویں صدی میں
نہیں لے جا سکتے ہیں

شری جلال الدین (جاری): میں بہت
ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ بات آپ کے
سمکش رکھ رہا ہوں۔ میں زیادہ سمے اس
پر نہیں دینا چاہتا لیکن اس بل کا سمرتھن
کرتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ سرکار
اس بارے میں ایک گمبھیر ہینسو بل لائے
تاکہ مہلاؤں کو جو ان کی سمپتی میں ادھیکار
ملے اس سے بہت کچھ بگڑنے والا نہیں
ہے۔ کون کہتا ہے کہ بگڑ جائے گا ہم لوگوں
کا اپنے جیون کا تجربہ ہے کہ اگر ہمارا
ویوہار ٹھیک ہے تو پتنی کا ویوہار رہتی

اور آج ہمارا سماج جو پردھان سماج ہے
میں اتہاس کی ویاکھیا کرنے کے لئے
یہاں کھڑا نہیں ہوا ہوں لیکن میں سدن
کے مادھیم سے کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے
ماننیہ منتری جی جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ
جانتے ہیں کہ اتہاس کے مادھیم سے سدن کا دھیان
آکرشت کیا گیا ہے۔ اس میں کچھ لکھا
ہو سکتا ہے۔ اس میں کمیاں ہو سکتی ہیں
یہ سب باتیں ماننے کی ہیں لیکن ہمارا
نویدن ہوگا سرکار سے کہ ایک گمبھیر ہینسو
بل آپ لائیے تاکہ مہلاؤں کو صحیح معنوں
میں جیون کے ہر کشیتر میں برابر کا ادھیکار
مل سکے جس میں سمپتی کا ادھیکار ہونا
بھی آوشیک ہے۔ ہمارا سماج تو ایسا ہے
کہ اگر مینٹیننس دینے کی بات آتی ہے
تو سماج میں بوال شروع ہو جاتا ہے۔
ہنگامہ مچ جاتا ہے تو ہمارے سوچنے کا
درشٹی یہ ہے مانویہ درشٹی کون سے کہ
جو کسی کی پتنی بنتی ہے وہ بھی تو سماج
میں کسی نہ کسی کی بہن اور بیٹی ہوتی
ہے۔ اگر اس بات پر درشٹی کو ان کو اپنایا
جائے جو سچائی ہے جیون کی۔ سماج کی اور
اس بنیاد پر اگر اپنے کو دیکھیں تو نشچت
طور پر مہلاؤں کے اتھان کے لئے ان کے
سرکشا کے لئے ان کو جیون کے ہر کشیتر

ٹھیک رہتا ہے۔ ہمارے سماج میں پتی لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کھلے عام دوسری مہلاؤں سے ملیں اور اگر ان کی پتنی دوسرے مردوں سے بات بھی کرے تو یہ انکو برداشت نہیں ہوتا۔ تو آپ کو یہ ادھیکار ہے اور پتنی کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ وہ کسی مرد سے بات بھی کرے۔ اتنا اوشواس آپ کو کیسے ہو جاتا ہے۔ اتنے ورشوں سے آپ نے اپنی زندگی کی شروعات کی ہے۔ آپ اتنا اوشواس کیوں کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں کچھ گڑبڑ ہے اس لئے آپکو اوشواس ہوتا ہے ہم لوگوں کے بھی بال بچے ہیں۔ پتنی ہے۔ ہم لوگوں نے کوئی تناؤ پورن جیون تو نہیں بتایا ہے۔ کشٹ مے جیون ہم نے آدرشے مے بنایا ہے لیکن پتنی نے بیٹر ہاف کے روپ میں سہیوگ کیا ہے اس لئے یہ کہنا کہ اگر پتنی کو یہ ادھیکار مل جائے گا تو سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ سب سے کر چلی جائے گی یہ ٹھیک نہیں ہے۔

مہودے۔ انہیں شبدوں کے ساتھ میں اس بل کا سمرتھن کرتا ہوں اور اپنے زوردار طریقے سے مانگ کرتا ہوں کہ ہمارے مانئیہ منتری جی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بارے میں ایک بل لائیں تاکہ مہلاؤں کو جیون کے سبھی اکشیتروں میں یہ ادھیکار مل سکے۔

ان شبدوں کے ساتھ میں اپنی بات سماپت کرتا ہوں۔ "دھنیہ واد"

श्री ईश दत्त यादव : (उत्तर प्रदेश) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर मुझे बोलने का समय दिया। श्रीमती वीणा वर्मा जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत करके सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करने की कोशिश की है कि आजादी के इतने दिनों के बाद भी अपने देश में नारी को पुरुष के बराबर अधिकार नहीं है। इसके लिए मैं श्रीमती वीणा वर्मा जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

महोदया, हिंदू माईथोलॉजी के हिसाब से पत्नी को अर्द्धांगिनी माना जाता है। इस देश में हिंदी के एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त और उन्होंने महिलाओं की स्थिति का बड़ा दर्दनाक चित्रण किया है। उन्होंने कहा है कि–

"अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी,
आंचल में है दूध और आंखों में पानी"

इसलिए वीणा जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहा हूं इस बिल को यहां प्रस्तुत करने के लिए। कानून में जो व्यवस्थायें की गई हैं उसके पीछे सामाजिक परिस्थितियां हैं। मैं समझता हूं कि जब से सृष्टि है, उस समय से लेकर आज तक समाज ने महिलाओं को हमेशा हीन दृष्टि से ही देखा है। मैडम, यह सच्चाई है कि जब किसी परिवार में लड़के का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है तो खुशी मनाई जाती है, गाना-बजाना भी होता है। इस प्रकार अपनी हैसियत के मुताबिक जिसके लड़का पैदा होता है वह खुशी

f[] Transliteration in Arabic Script.

[श्री ईश दत्त यादव]

मनाता है। लेकिन अगर किसी परिवार में लड़की पैदा होती है, मैं सबके लिए तो नहीं कहना चाहता लेकिन लड़की के पैदा होने पर वह खुशी नहीं मनाई जाती। लोगों ने बच्ची को समाज में अभिशाप समझा है, लोगों ने बच्ची को लाईबिलिटी समझा है कि हमारे ऊपर वह कर्ज लद गई या हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई। इस तरह की समाज की मान्यता होती है। बच्ची जब बड़ी हो गई तो भी उसको कोई अधिकार नहीं है। जो सामाजिक परम्परा है उसके हिसाब से लड़की को पर्दे में रहना है। मां-बाप के घर रहना है तो मां-बाप का अंकुश उनके ऊपर है और जब पति के घर चली गई तो पति का अंकुश है और प्रताड़ना दोनों ही हैं। उसको समाज का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। हम समझते हैं कि इसी पृष्ठभूमि में इस देश के कानून में भी महिलाओं को कोई अधिकार नहीं दिया। मैडम, इस देश में 4–5 कानून हैं। जो मेरी जानकारी में हैं वह हैं – हिन्दु लॉं, हिन्दू मैरिज एक्ट, मुस्लिम लॉं, स्पेशल हिन्दू मैरिज एक्ट। यह तो जनरल हैं, जो एग्रीकल्चर्ल प्रोपर्टी को छोड़ करके लागू होते हैं। जो एग्रीकल्चर्ल लैंड है, जो कृषि योग्य भूमि है, जो इस तरह की भूमि है उसके लिए राज्य सरकार ने अपने अलग-अलग कानून बना रखे हैं। लेकिन जिन कानूनों के बारे में मैंने कहा, हिन्दू लॉं, मुस्लिम लॉं, हिन्दू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इन कानूनों में महिलाओं की उपेक्षा की गई है मैं दूसरे कानूनों की समीक्षा नहीं करना चाहता। मैडम, हिन्दु लॉं में जो हमारे कानून बनाने वाले लोग हैं, जो हमारे नेता थे, जिन्होंने इस कानून की रचना की उन्होंने महिलाओं को बहुत दबे हुए मन से और मैं समझता हूं कि दुखित मन से और संकोच की भावना से उन्होंने महिलाओं को कुछ अधिकार दिए और कहा कि महिलाओं के लिए केवल स्त्री धन हो। स्त्री धन की भी व्याख्या उस कानून में की गई। शादी के समय वह लड़की जो भी सम्पत्ति पाती है चाहे अपने पिता की ओर से पाए या ससुराल वालों की ओर से पाए, वही स्त्री धन है और उसी की वही मालिक है। जिन्होंने इस कानून की रचना की, उन लोगों ने भी दबे मन से इस काम को किया और हमेशा उपेक्षा की भावना से देखा। मैडम, जहां तक टीनेंसी लॉं का सवाल है, जमीन संबंधी कानूनों का सवाल है, हम समझते हैं कि शायद सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एग्रीकल्चर्ल लैंड में महिलाओं को अधिकार दिया गया। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जो इस देश के बड़े नेता थे और इस देश के प्रधान मंत्री भी थे, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम बनाया तथा उत्तर प्रदेश के टीनेंसी एक्ट को रिपील किया तो हम समझते हैं कि कृषि संबंधी जो भूमि है उन्होंने इस एक्ट के अंतर्गत महिलाओं को अधिकार दिया। लेकिन श्रीमती मीणा वर्मा जी का जो उद्देश्य है, जो इनकी भावना है उस भावना के अनुरूप यह कानून भी नहीं है। चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे देश के किसी कोने का कोई कानून हो, श्रीमती वीणा वर्मा जी जो चाहती हैं सही चाहती हैं, उसका मैं समर्थन करता हूं। इस तरह का इस देश के अंदर कोई कानून नहीं बना। कानून क्या बना कि अगर पति मर जाएगा तो उसके मरने के बाद पत्नी का हिस्सा हो जाएगा और जो इतना लम्बा पीरियड चलेगा, इस पीरियड में अगर पत्नी की प्रताड़ना की जाती है, उसकी उपेक्षा की जाती है तो पत्नी के संरक्षण के लिए कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। सिवाय कि हमारे कटारिया जी कह रहे थे कि मेंटेनेंस के लिए वह अदालत की शरण ले और तो कोई रास्ता नहीं है। और अगर उसके मन में सम्पत्ति का जरा भी लालच है जो कि बहुत स्वाभाविक नहीं है, लेकिन अगर पत्नी के मन में जरा भी सम्पत्ति का लालच है तो कितने दिन वह इंतजार करेगी कि मेरा पति मर जाए और मैं सम्पत्ति की मालिक हो जाऊं? उसको बहुत लंबे पीरियड तक इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह की कानून में विसंगति है और महिला के साथ भेदभाव किया गया है और शुरू से नारी को कमजोर समझा गया। हीनता की भावना से देखा गया।

मैडम, इस देश में सब कुछ हो गया महिला देश की प्रधान मंत्री हो सकती है,।

ुख्य मंत्री हो सकती है, आप जिस आसन पर बैठी हैं, उस पर आसीन हो सकती हैं लेकिन आज भी जो समाज का कानून है, इस देश का कानून है, भारत सरकार का जो कानून है, उस कानून में आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि महिला को जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हक मिलना चाहिए, वह हक दिया नहीं है और उसको सम्मान भी नहीं दिया गया। लेकिन अब ये कानून मंत्री जी भारद्वाज जी बैठे हुए हैं, विधिवेत्ता हैं, मैं इनसे कहूंगा, ये तो अनुरोध ही करेंगे और वीणा जी मान जाएंगी और इस बिल को वापस ले लेंगी लेकिन मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे और इस तरह का कानून बनाए कि महिला और पुरुष में इस देश में कोई भेद न रहे।

मैडम, मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बंगलादेश की प्रसिद्ध लेखिका हैं तसलीमा नसरीन। उनका मैं लेख पढ़ रहा था परसों जब मैं ट्रेन में आ रहा था तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मैं डायरी नहीं रखती और उसमें उन्होंने तर्क दिया कि डायरी इसलिए नहीं रखती हूं कि डायरी के पहले पेज पर लिखा जाता है नेम, फादर्स नेम, वाइफ्स नेम, हाऊ मैनी चिल्ड्रन, ब्लड ग्रुप, वेट, पास बुक नंबर आदि-आदि। उन्होंने कहा कि मैंने किसी डायरी ने नहीं देखा कि लिखा हो हस्बैंड्स नेम, पति का नाम लिखने के लिए किसी डायरी में नहीं छपा, न ढाका में, न बंगलादेश में और न किसी और देश की डायरी में छपा और इसलिए तसलीमा नसरीन ने कहा और उनकी व्याख्या यह है कि महिला को यहां कोई स्थान नहीं दिया गया। बच्चा पैदा हुआ, स्कूल में पढ़ने चला गया तो उसका नाम, फादर्स नेम लिखा जाएगा, पिता का नाम लिखा जाएगा और माता का नाम कहां है, उसकी परवाह इस देश के अन्दर किसी को नहीं है तो इसलिए इस देश के समाज ने और इस देश के कानून ने, दोनों ने महिला की उपेक्षा की है।

श्री संघ प्रिय गौतम : और तसलीमा नसरीन ने यह सही बात कही है?

श्री ईश दत्त यादव : उनकी बातों को तो मैं सही मानता ही हूं। तसलीमा नसरीन की बातें जो हैं, आप गलत मान सकते हैं, मैं तो सही मानता हूं। तो मैडम मैं आपसे अनुरोध कर रहा था। कि श्रीमती वीणा वर्मा जी की जो मंशा है, उस मंशा के बारे में सरकार को और कानून मंत्री जी को, विधि मंत्री जी को, इनके कानून विभाग के लोगों को गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि कानून किस तरह से बनाया जाए क्योंकि मैडम, यह भी कोई आसान काम नहीं है। मान लें कि एक लड़की की शादी हुई एक लड़के के साथ और लड़के के नाम से कोई प्रापर्टी नहीं है, लड़के के नाम से कोई सम्पत्ति नहीं है। लड़के के बाप के नाम से सारी सम्पत्ति पड़ी हुई है तो फिर वह लड़का और उसकी पत्नी दोनों इंतजार करेंगे कि "हे मेरे बाप, कब मरेंगे आप?" कितनी जल्दी आप मर जाएंगे कि दोनों के नाम से प्रापर्टी हो जाए फिर दोनों को इंतजार करना पड़ेगा और दूसरी स्थिति आ सकती है. . .

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : यादव जी, ऐसा भी होता है कभी?

श्री ईश दत्त यादव तो मैडम, मैं कह रहा था . . .

उपसभाध्यक्ष, (कुमारी सरोज खापर्डे) : का अभी कितना समय लेंगे क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर साहब को कुछ स्टेटमेंट करनी है? आप बोलिये, मैं आपको रोक नहीं रही हूं। . . . **(व्यवधान)**

श्री ईश दत्त यादव : मैडम, मैं दूसरी स्थिति के बारे में कह रहा था। जो कानून बनाना होगा। वीणा वर्मा जी का जो बिल है, वह तो वापिस हो जायेगा।

श्री संघ प्रिय गौतम : क्यों वापिस हो जायेगा?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : यादव जी, आप क्यों इन्हें बार-बार बिल

वापिस लेने के लिये कह रहे हैं? वह बिल वापिस नहीं ले रही है, आप बोलते जाइये।

श्री ईश दत्त यादव : अगर वापिस न लें तो मुझे बेहद खुशी होगी। लेकिन माननीय कानून मंत्री जी, न्याय मंत्री जी इनसे अनुरोध करेंगे और यह मान जायेंगी। मैं इनकी भावना को भी समझता हूं और मंत्री जी जो कहेंगे, वह भी मैं जानता हूं। मैं आगे यह कह रहा था कि दूसरी स्थिति यह आयेगी कि एक महिला की शादी एक पुरुष के साथ होती है, उसके नाम से अपार संपत्ति है, तब तो ठीक है, इस तरह का कानून बन जाना चाहिये और इस तरह का कानून होना चाहिये कि जिस दिन शादी होती है, उस समय जब शादी को सेरामनि होती है, जो फंक्शन होता है, उसी समय उस कानून के अनुसार उस महिला का या उस लड़की का उसके पति की जो भी संपत्ति है, चाहे वह चल संपत्ति है यह अचल संपत्ति, उसमें उसका अधिकार हो जायेगा। इस तरह का कानून माननीय न्याय मंत्री जी को बनाना चाहिये। लेकिन मैं एक तीसरी स्थिति के बारे में भी सोच रहा हूं कि मान लीजिये किसी लड़की की शादी हुई और वह एम्प्लाइड है, ऑफिस में है, चारबछ हजार रुपये मासिक उसकी तनख्वाह है और उसके पिता ने भी उसे मकान दे दिया, जमीन दे दी और वह जमीन उसके नाम से है तथा दूसरी ओर पति रोड मास्टर है, तब क्या होगा?

श्री संघ प्रिय गौतम : तब पति की उसमें हिस्सेदारी होगी।

श्री ईश दत्त यादव : यह भी कानून बनना चाहिये। जिस दिन शादी होती है, जिस क्षण शादी होती है, क्योंकि समता लानी है तो ऐसा कानून भी होना चाहिये। गौतम जी, आप हमारे ऊपर कृपा करिये। मैं जानता हूं कि आप जिस पार्टी में हैं, उस पार्टी का काम ही देश में उत्पात मचाना है, इसलिये मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। मैं बहुत नम्रता से निवेदन कर रहा हूं। तो मैं तीसरी स्थिति के बारे में कह रहा था। मैं यह नहीं कहता कि मेरी बात मान ली जाये लेकिन कानून मंत्री जी, विधि मंत्री जी और उनका जो डिपार्टमेंट इस पर गंभीरता से सोचे क्योंकि समता लानी है, स्त्री और पुरुष को समान करना है, दोनों को बराबर दर्जे पर लाना है। जहां तक समता का सवाल है, संपत्ति में अधिकार देने के लिये, तो इस पर भी गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। बहुत उदाहरण तो नहीं मिलते, लेकिन पांच परसेंट, दस परसेंट उदाहरण इस तरह के मिले हैं, आपको भी और माननीय सदन के सदस्यों को भी मिले हैं और मुझे भी मिले हैं, कि महिला जिसकी शादी होती है, उसके पास संपत्ति बहुत है और उसके पतिदेव अभी पढ़-लिख रहे हैं, नौकरी के लिये ट्राई कर रहे हैं और असफल हो गये हैं, तो उनका जीवन बहुत कष्टमय हो जाता है। इसलिये इस पहलू पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : यादव जी, आप संक्षेप में बोलिये। पांच बजने में कुछ ही मिनट बाकी हैं।

श्री ईश दत्त यादव : मैडम, अभी तो मुझे बहुत कुछ बोलना था।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : ठीक है, बोलिये। लेकिन पांच बजे कामर्स मिनिस्टर को मैं कहूंगी कि अपना बयान वह दें। अब आप आगे बोलिये।

श्री ईश दत्त यादव : ठीक है, पांच तो बज ही गये हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : आप पूरा करिए।

श्री ईश दत्त यादव : इतनी देर में पूरा तो नहीं हो सकता है ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : जितने भी चार शब्द आपके पूरे हो सकते हैं. उसको पूरा कर लीजिये ।

5.00 P.M.

श्री ईश दत्त यादव : मैडम, मैं निवेदन कर रहा था कि जो समाज और देश की स्थिति आज है और इस देश के अन्दर जो कानून है, उन सारे कानूनों पर सरकार को गंभीरता से विचार करना पड़ेगा । क्योंकि अब ज्यादा दिन तक इस देश में महिलाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती. . . (व्यवधान) हमेशा की गई है । माननीय साहब जी आप इसको स्वीकार करेंगे हृदय से कि महिलाओं की हमेशा इस देश के अन्दर उपेक्षा की गई । उन को कमजोर समझा गया । उनको अबला समझा गया । इसलिये श्रीमती वीणा वर्मा की मैं पुन: धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा एक विधेयक प्रस्तुत किया है । यद्यपि मैं इस विधेयक को पर्याप्त नहीं मानता । इस विधेयक में जो बातें दी गई हैं उनसे महिलाओं के अधिकारों को पूरा संरक्षण प्राप्त नहीं होता । जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है इस विधेयक में बहुत सी कमियां हैं ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप अगर अपनी बात पूरी नहीं कर पाये तो आप अपनी बात कामर्स मंत्री जी के बयान के बाद पूरी कर सकते हैं ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : यह तो पांच बजे खत्म हो जायेगा ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप अपनी बात अगली बार पूरी कर लीजिये । अब कामर्स मिनिस्टर साहब का बयान होगा ।

श्री संघ प्रिय गौतम : मंत्री जी का बयान नहीं हो सकता ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : क्यों नहीं हो सकता ?

श्री संघ प्रिय गौतम : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । तीन बात हैं । पहली बात यह है कि पांच बजे तक प्राइवेट मेंबर्स के बिल का टाइम है । पांच बजकर एक मिनट या दो मिनट पर हो सकता है, पांच बजे नहीं हो सकता है । दूसरे यह जो इलोक्ट्रोनिक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है इधर भी और उधर भी दोनों तरफ यह लिखा है एग्रीमेंट पर स्टेटमेंट होगी । पर यह नहीं लिखा कौन से एग्रीमेंट पर स्टेटमेंट होगी । तीसरे दोनों इलोक्ट्रोनिक बोर्ड पर अंग्रेजी में लिखा हुआ है । एक भी बोर्ड पर हिन्दी में नहीं लिखा हुआ है । इसलिये माननीय मंत्री जी का वक्तव्य आज नहीं हो सकता । पांच बजे तक का टाइम प्राइवेट मेम्बर्स का है ।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : आप इतने एक्साइटिड रहते हैं कि आप न चेयर को कुछ समझते हैं और न किसी और को कुछ समझते हैं । पांच बजकर एक मिनट हो रहा है आप क्यों इस बात का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं कि यह स्टेटमेंट नहीं होगा । प्राइवेट मेंबर्स बिल का टाइम पांच बजे तक का था ।

श्री संघ प्रिय गौतम : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में. . . . (व्यवधान) . .

DR. BIPLAB DASGUPTA: Madam, *I* am raising some constitutional issues. In the List of Business there is no mention that the statement would be made by the Minister of Commerce. There was no discussjon in the BAC. Moreover, I understand there is a convention that when such statements are to be made, in the morning notice is given that such a Statment would be made. If you look at the composition of the House now, how many Members are there? Tf this was brought to the notice of the Members in the morning, many people would have been here, given the gravity of the subject. The notice came just at fout o'clock. We have got only one hour's notice, by when most of the Members have left for their constituencies. It will be very improper on the part of the Minister to make the statement. I would request him not to make the statement now but leave it until Monday Then the statement can be made and clarifications sought. I would request ths Mi-

[Dr. Biplab Dasgupfa—-Contd.]

nister not to place it before tbe House because I don't think it would be proper for him to do so. If it [s done, certainly we will not permit it. *{Interruptions')..* .

श्री संघ प्रिय गौतम : आप यह स्टेटमेंट नहीं ले सकते (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे), अगर आप इस तरह से बार-बार खड़े होंगे तो ठीक नहीं होगा । Then I wil! have to raise my voice to make you sit.

श्री मोहम्मद सलीम : विधि के अनुसार मंत्री महोदय को यह अधिकार है कि वह कोई भी बयान लेकर सदन में आय । लेकिन हमारा यह पहला सप्ताह है और आज फाइडे है । फ़ाइडे आफ्टरनून हम प्राइवेट मेंबर बिजनेस लेते हैं । अगर कोई ऐसा सवाल आ जाय तो हमें आफ्टर प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस लेना है वह प्री लंच सेशन में एलान किया जाता है । जो इलेक्ट्रोनिक नोटिस बोर्ड लगा हुआ है इसमें कभी-कभी इलेक्ट्रानिक भी आता है, बहुत से सवाल भी आ रहे हैं । इसको ओथेंटिक नहीं मानते रूल के मुताबिक आप यहां चार बजे इलेक्ट्रोनिक नोटिस बोर्ड पर यह लगवाते हैं और उसके बाद आपने चेयर से घोषणा कर दी । जो सदस्य प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस में भाग ले रहे हैं या जिन्होंने स्पेशल मेंशन करना है वे यहां बैठे हैं,

w, given the gravity of the situation and the importance of the subject-matter of the statement...

आप इस सदन को और सदन के तमाम सदस्यों को न बताकर उनके पीछे ऐसी घोषणा अपने आप नहीं ला सकते । मेरा सवाल यह है कि हम अक्सर दूसरे हफ्ते में ऐसे निर्णय लेते हैं कि 6 बजे बैठेंगे, 7 बजे बैठेंगे । इससे बहुत से सदस्य पोस्ट सेशन लंच में वापस आ जाते हैं । दूसरा अभी तक हमने रोज सदन 5 बजे एडजर्न किया है । मैडम, दो दिन कोई स्पेशल मेंशन नहीं हुए । इसके लिए बहुत से मेंबर बैठे हुए हैं । इसलिए स्पेशल मेंशन होने चाहिएं । तीन रोज से मेंबर बैठे हैं । हम इसके लिए देर तक बैठने के लिए तैयार हैं । साथ ही क्लेरिफिकेशन भी नहीं लिए जा रहे हैं और यह कोई ऐसा महत्वपूर्ण मामला भी नहीं है जो वाणिज्य मंत्री जी इसको आज ही यहां रखें । इसको आने वाले दिनों में किसी भी दिन रखा जा सकता है । इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको परमिट न करें वरना यह एक गलत प्रिसिडेंट हो जाएगा । 4 बजे इलेक्ट्रोनिक बोर्ड पर बताकर आप ऐसा न करें ।

شری محمد سلیم: ودھی کے انوسار منتری مہودے کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ کوئی بھی بیان لے کر سدن میں آئیں لیکن ہمارا یہ پہلا سپتاہ ہے اور آج فرائی ڈے ہے فرائی ڈے آفٹر نون ہم پرائیویٹ ممبر بزنس لیتے ہیں اگر کوئی ایسا سوال آجائے تو ہمیں آفٹر پرائیویٹ ممبرس بزنس لینا ہے وہ پری لنچ سیشن میں اعلان کیا جاتا ہے جو الیکٹرونک نوٹس بورڈ لگا ہوا ہے اس میں کبھی کبھی میوزک بھی آتا ہے بہت سے سوال بھی آ رہے ہیں اس کو آفشک نہیں مانتے رول کے مطابق آپ یہاں چار بجے الیکٹرونک نوٹس بورڈ پر یہ لگواتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے چیئرمین سے گھوشنا کر دی کہ جو سدسیہ پرائیویٹ ممبر بزنس میں بھاگ لے رہے ہیں یا جنہوں نے اسپیشل مینشن کرنا ہے وہ یہاں بیٹھے ہیں

شری محمد سلیم "جاری":

|[ ] Transliteration in Arabic Script.

or, given the gravity of the situation and the importance of the subject-matter of the statement...

آپ اس سدن کو اور سدن کے تمام
سدسیوں کو نہ بنا کر ان کے پیچھے ایسی گھوشنا
اپنے آپ لا سکتے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہم
اکثر دوسرے سنتے ہیں ایسے نرنے لیتے
ہیں کہ ۶ بجے بیٹھیں گے ۷ بجے بیٹھیں گے
اس سے بہت سے سدسیہ لوپسٹ سیشن لنچ
میں واپس آجاتے ہیں۔ دوسرا ابھی تک
ہم نے روز سدن ۵ بجے ایڈجورن کیا ہے
میڈم۔ دو دن کوئی اسپیشل مینشن
نہیں ہوئے اس کے لئے بہت سے ممبرس
بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لئے اسپیشل مینشن
ہونے چاہئیں۔ تین روز سے ممبرس بیٹھے
ہوئے ہیں۔ ہم اس کے لئے دیر تک
بیٹھنے کے لئے تیار ہیں۔ ساتھ ہی کلیریفکیشن
بھی نہیں لئے جا رہے ہیں اور یا کوئی
ایسا مہتوپورن معاملہ بھی نہیں ہے جو
واپنے منتری جی اس کو یہاں رکھیں۔
اس کو آنے والے دنوں میں کسی بھی
دن رکھا جا سکتا ہے۔ اس لئے میرا
آپ سے انورودھ ہے کہ اس کو پرمٹ
نہ کریں۔ ورنہ یہ ایک غلط پریسیڈنٹ
ہو جائے گا۔ چار بجے الیکٹرونک لوبڈ پر
بتا کر آپ ایسا نہ کریں۔
"ختم شد"

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have made your point. Will you please sit down now? Will you please sit down now? ... (*Interruptions*)

Mr. Swell, will you please sit down?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE): Madam, if I will just clarify the position, perhaps the hon. Members will not be so much agitated.

Firstly, why I decided to make the statement today is because of the fact that the Cabinet has taken the decision yesterday, last night. If it appears in the Press, then, the same Members will say, "You have taken the decision. The House is in session, and you are not communicating it to the House." Therefore, I decided *suo motu* that I should share this piece of information with the hon. Members at the earliest opportunity. (*Interruptions*)

SHRI MD. SALIM): Madam, this is the precise point. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Salim, please Minister complete the statement. Please sit down.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: J am fully aware that the Members may be put :o some inconvenience in seeking clarifications, but, as per your direction, it can be said that I can make the state ment today. Monday is my question day. You can seek clarifications on Monday. There will be no problem.

SHRI MD. SALIM: Madam, the Minister, replying to my point. ••

DR. BIPLAB DASGUPTA: If this is the case that tlie Cabine; decided it last night, why was no notice given in the morning? The whole day was there to inform the House that you were going to make a statement today.

SHRI MD. SALIM: This is my precise objection.

† [ ] Transliteration in Arabic Script.

THE VICECHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Are you not allowing others to speak? Only you are speaking.

DR. BIPLAB DASGUPTA: The announcement could have been made ia the morning session that the i.Iinistei was going to make a statement. Unfortunately, it was not made.

THR VICE-OHIAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Biplab Dasgupta, I did not allow you to speak.. I allowed Mr. Swell to speak. Mr. Swell is there. You are going on speaking like this. It is not fair.

SHRI G. G. SWELL Meghalaya): Madam], by sheer luck I am here because, otherwise, I would have gone home.

SHRl V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Yes, yes, you never come to the House.

SHRI G. G. SWELL: I would not have known anything about this statement.

I can see the reason given by the Minister that since the Cabinet took the decision last night, that he would not like this to get into the Press be fore he woulj mention it in the House and that lie would like to take the House into confidence. I agree, but, when the decision was taken last night why could he not let us know today morning that at a particular time this statement woiild be made? I am sure, this House would have been full because this is a very very important thing that is happening in the world, and we are entering into a new phase. I think it is only fair and proper for the Minister to do it. But, I do not make an announcement in the morning. I do not know whether my colleagues here wiH agree for the compromise that we ca_n seek clarifications on Monday.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madarn, th» hon. Members were making the point about the hon. Minister coming witfc a statement in this House. Madarn, this is the convention of this House especially that tlie hon. Minister wiH say that he is coming with a statement. It wiH be informed to the hon. Members. It is the duty of the hon. Members to be present in the House and to seek clarifications... *{Interruptions)*

Kindly. Tho_v cannot say, "Since you did not tell us about it in the morning, we cannot be present in the evening." There is no excuse for it. I would like to submit, whether it is Friday or it is Monday, it is the duty of the Members to be present in the House when the House is sitting, ir is absolutely required . .. *{Interruptions)*

You may differ with rne, but I have to make my point.

SHRI G. G. SWELL: You cannot lake the House by surprise.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madarn, in the Business Advisory Committee it was decided that if business would be there the House would sit even beyond five o'clock. Therefore there is no force in their argument, and the hon. Minister is well within his right to make his statement. The Members can ask clarifications on Monday if they feel inconvenient to do so now.

श्री संघ प्रिय गौतम : मैडम, एक बात गलत है। पांच बजे तक हाउस है इसलिए

Members are not supposed on... *(Interruptions)*

SHRI G. G. SWELL: Madam, this is unfair. Initially the Members are not supposed to be present now. *(Interrup. tions)*.

THE VTCE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You have expressed your views. Again and again I am not going to listen to all these things.

SHRI G. G. SWELL: We object on principle that the Government can take

the House by surprise at any time. We[1] do not accept this.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is not fair that you take the House by surprise.. The House also will not function at the convenience of each and even' Member.

DR. BTPLAB DASGUPTA: Take the sense of tlie House, Madam.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Please take th? sense of the House.

श्री ईश दत्त यादव : मेरा इससे संबंधित नहीं है। मैं इस विषय में नहीं बोल रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हमारा भाषण अगली तारीख तक जारी रहेगा ?

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे) : अभी आपने अपना भाषण दे दिया। पूरा नहीं किया होगा तो अगले सत्र में बोलियेगा लेकिन वाणिज्य मंत्री जी को अपना बयान करने की अनुमति प्रदान कर दीजिए।

DR. B1PLAB DASGUPTA: Please take the sense of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Please sit down. This is 'not fair. Now Mr. Pranab Mukherjee.

STATEMENT BY MINISTER

Government's decision to ret'fy rgyeo ment estah'Miiny Worift IWaflfe Organisation

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI PRANAB MUKHERJEE). Madam, hon. Members wiH recall th House has discussed the Uruguay Roucd results on a number cf occasions.

SHRI MD. SALEM (West Bengal): there is no quorum. It cannot be done. *Interruptions)*. How can you do tto's" *(Interruptions),* Is this the way the Government should function?

राज्य सभा की अपनी गरिमा है। (व्यवधान) सदन की गरिमा का सवाल है (व्यवधान)

†[راجیہ سبھا کی اپنی گریما ہے... مداخلت... سدن کی گریما کا سوال ہے... مداخلت...]

श्री कृष्ण लाल शर्मा (हिमाचल प्रदेश) : गवर्नमेंट का यह एटीट्यूड ठीक नहीं है। (व्यवधान)

SHRI PRANAB MUKHERJEE: While there have been differing perceptions on one or the other aspects of the Uruguay Round results, Government is of the view that India's continued participation in the multilateral trading system will be in our national interest. *(Interruptions).*

Government have carefully examined the Agreement Establishing the World Trade Organisation and found that:

— reductions in traiffs will contribute to increased trade flows;

— the Agreement on Texti'es, though it disappoints us by not mandating early integration, nevertheless represents a definite, tirne-bound and legally enforceable commitment to integrate this sector into the multilateral rules governing international trade;

_ India has not u-deratkec *my* reduction cammitsments in any area of support to agriculture and our development policies remain unaffected;

— there is no obligation on us to patent seeds and plant varieties and a sr' tab pro- ;; of th; *fn'tzat* and •ill be in our in'.crest;

DR. BIPLAB DASGUPTA (West : Madarn, the Bouse does not have quorum. (Interruptions).

(At this stage some hon. Members left the Chamber.)

†[] Transliteration ia Arabic Script